F. No. 401/01/2023-Cus-III
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Indirect Taxes & Customs)

North Block, New Delhi Dated the 18th May, 2023

To

All Principal Chief Commissioners/ Chief Commissioners (Customs/ Customs (Preventive)/ Customs and Central Taxes), All Principal Commissioners / Commissioners (Customs / Customs Preventive) Pr. Director / Director General under CBIC.

Subject: - Requirement of EPR registration certificate for import of battery as well as equipment containing battery-reg.

Madam/Sir,

Reference is invited to letter No. CP-10730/30/BWMR/WMD-1/2022/7430 dated 23.12.2022 and CP-9772/BWMR/WMD-1/2022/754 dated 01.05.2023 received from the Central Pollution control Board (CPCB), M/o Environment, Forests & Climate Change, New Delhi on the subject mentioned above (copies enclosed).

- 2. Vide this letter CPCB has drawn attention to Battery Waste Management (BWM) Rules, **2022 issued** on 22nd August, 2022 (copy enclosed) in supersession to the earlier Batteries (Management and Handling) Rules, 2001. Since the rules are applicable to the importers who are involved in import of all types of Battery regardless of chemistry, shape, volume, weight, material composition and use, all the producers including importers (*with few exceptions*) are required to get the registration from CPCB through online portal in accordance with BWM Rules, 2022.
- 3. Further, **CPCB** has informed that, since 17.03.2023, the online portal of CPCB (www.eprbatterycpcb.in) is functional for grant of Registration to Producers under BWM Rules, 2022. Accordingly, CPCB has requested to verify the online-generated EPR registration certificate at the time of clearing the consignment of importers of batteries as well as equipment containing batteries. For ease, List of Producers to whom Registration are issued under BWM Rules, 2022 can be viewed on http://www.eprbatterycpcb.in/viewunitcertificates.
- 4. Accordingly, it is requested that necessary action may be taken to sensitize officers and Trade under your jurisdiction to ensure verification of the registration certificate issued by CPCB at the time of clearing the consignment of importers of batteries.
- 5. The difficulties, if any, in the implementation of this Instruction may be brought to the notice of the Board.
- Hindi version follows.

Encl: as above

Yours faithfully,

(Manish Kumar Choudhary)

OSD(Cus.III) Tele: 011 23094012

Email: manish.irs@gov.in

File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933)

3170403/2023/Cus-III Section

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE GOVT. OF IND

Speed Post

File No. CP-9772/BWMR/WMD-1/2022 734

Date: 01/05/2023

To,

Sh. Manish Kumar Choudhary, OSD (CUS. III) Custom, Central Board of Indirect Taxes & Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance North Block, New Delhi – 110001 Regers J. LAW PI-P

Sub:

Letter regarding clearing of Consignments related to import of battery as well as equipment containing battery.

Sir,

This has reference to the Office Memorandum received on 17th Jan., 2023 seeking details for the modalities for transition of registration from offline mode and after the development of portal for issuance of instructions to the field formation.

In the view of above, it is to inform that CPCB has launched the online portal (www.eprbatterycpcb.in) on 17th March, 2023 for grant of Registration to Producers under Battery Waste Management Rules, 2022. Therefore, it is requested to ensure verification of registration certificate obtained from CPCB through the Online Portal at the time of clearing the consignment of Importers of batteries as well as equipment containing batteries.

List of Producers to whom Registration are issued under Battery Waste Management Rules, 2022 can be viewed on http://eprbatterycpcb.in/viewunitcertificates

Yours faithfully

V.P. Yadav

Director & Head

Waste Management Division – I Central Pollution Control Board, Delhi File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933)

2980834/2023/Cus-III Section



CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE GOVT. OF INDIA

Date: 23/12/2022

Speed Post

0

File No. CP-10730/BWMR/WMD-1/2022 7430

To,

The Director
Custom, Central Board of Indirect Taxes & Customs,
Department of Revenue, Ministry of Finance
North Block, New Delhi – 110001

Sub: Letter regarding clearing of Consignments related to import of battery as well as equipment containing battery.

Sir/Madam,

Ministry of Environment Forest and Climate Change notified Battery Waste Management (BWM) Rules on 22nd August, 2022 in suppression of the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001. These rules are applicable to the Producers which also include importers who are involved in import of all types of Battery regardless of chemistry, shape, volume, weight, material composition and use.

Further, all the Producers including Importers are required to obtain the registration from Central Pollution Control Board through online portal in accordance with said Battery Waste Management Rules, 2022. CPCB is in the process of developing online portal, however CPCB has started issuance of registration certificates in offline mode till development of online portal.

For effective implementation of Rules, it is requested to get the necessary instructions issued to the concerned officials of Custom Department to ensure verification of registration certificate issued by CPCB at the time of clearing the consignment of Importers of batteries.

Yours faithfully

(V.P. Yadav) Director & Head

Waste Management Division – I Central Pollution Control Board, Delhi

'परिवेश भवन' पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032 Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi-1100328 401/01/2023

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082022-238351 CG-DL-E-24082022-238351

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3810] No. 3810] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 2022/भाद्र 2, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 2022/BHADRA 2, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2022

का.आ. 3984(अ).—अपिशष्ट बैटरी प्रबंधन नियम, 2020 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) का.आ. 770(अ) तारीख 20 फरवरी, 2020 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों को उक्त प्रारूप उपबंधों को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तारीख से साठ दिन की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, सभी प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अत:, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) धारा 3 की उप धारा (1) के खंड (v) और उप धारा (2) के खंड (vii), धारा 6 की उप धारा (1) के खंड (ग) और उप धारा (2) के खंड (घ), धारा 8, धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम **"अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन नियम, 2022"** है।

5701 GI/2022

(1)

- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **लागू होना (1) -** ये **नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे: (**i) अपशिष्ट बैटरी के संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, नवीकरण और पुनर्चक्रण में सम्मिलित उत्पादक, व्यापारी, उपभोक्ता, इकाई;
- ii. रसायन, आकार, मात्रा, भार, सामग्री संघटन और उपयोग पर ध्यान दिए बिना सभी प्रकार की बैटरी;
- (2) ये नियम निम्नलिखित में उपयोग में लाई गई बैटरी पर लागू नहीं होते हैं, (i) हाथियार, आयुद्यों, युद्ध सामग्री सिंहत आवश्यक सुरक्षा हितों की रक्षा और विशेष रूप से सेना के प्रयोजनों से आशयित संबंद्ध उपकरण।
- ii. अंतरिक्ष (अंतरिक्ष खोज करने हेतु) में भेजे जाने हेतु अभिकल्पित उपकरण ।
- 3. परिभाषाएं इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
- (क) 'अधिनियम' से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;
- (ख) 'मोटरयान बैटरी' से केवल मोटरयान स्टार्टर, प्रकाश या दहन ऊर्जा के लिए उपयोग में आने वाली कोई बैटरी अभिप्रेत है;
- (ग) 'बैटरी' से संचायक सिहत नया या नवीकृत सेल और/या बैटरी और/या उनके घटक है, जो रासायनिक ऊर्जा से प्रत्यक्ष संपरिवर्तन द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा का कोई स्रोत है और जिसमें निपटान योग्य प्राथमिक और/या द्वितीयक बैटरी सम्मिलित अभिप्रेत है;
- (घ) 'बैटरी पैक' से सेलों और/या बैटरी का कोई ऐसा सेट या मॉड्यूल है जो बाहरी आवरण के भीतर इस प्रकार से संयोजित या समाहित है कि एक ऐसी संपूर्ण इकाई का निर्माण करे जिसे अंत्य-उपयोक्ता उसे अलग करने या खोलने का इरादा न करे;
- (ड.) 'बैटरी सामग्रियों' से निकेल, कोबाल्ट, सीसा, लीथियम जैसी धातुओं और अन्य सामग्रियों जैसे कि प्लास्टिक, कागज आदि सिहत बैटरी में अंतर्विष्ट सामग्रियां अभिप्रेत है।
- (च) 'सेल' से इलैक्ट्रोड, इलैक्ट्रोलाइट, कंटेनर, टर्मिनलों और सेपरेटरों के संयोजन से गठित आधारभूत कार्यात्मक इकाई है जो रासायनिक ऊर्जा के प्रत्येक संपरिवर्तन द्वारा उत्पादित ऊर्जा का कोई स्रोत है; और जिसमें प्राथमिक/या द्वितीयक सेल भी हैं।
- (छ) 'केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' से जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन गठित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है;
- (ज) 'उपभोक्ता' से किसी बैटरी का कोई अंत्य उपयोक्ता अभिप्रेत है;
- (झ) 'निपटान' से कोई प्रचालन अभिप्रेत है जिसके फलस्वरूप पुन: उपयोग, पुन: प्राप्ति, नवीकरण या पुनर्चक्रण नहीं होता है और जिसमें, अन्य बातों के साथ भौतिक-रासायनिक और/या जौविक शोधन, और/या सुरक्षित भराई में निक्षेप सम्मिलित है;
- (ञ) 'विद्युत यान बैटरी' से विशेष रूप से सड़क परिवहन के लिए हाईब्रिड और विद्युत यानों को संकर्षण प्रदान कराने हेत् डिजाइन की गई कोई बैटरी अभिप्रेत है;
- (ट) 'ईओएल बैटरी' से बैटरी जिसका उपयोग कर लिया गया है, जिसके उपयोग की अवधि समाप्त हो गई है और जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है;

- (ठ) 'पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृद्ध प्रबंधन' से अपिशष्ट बैटरी का प्रबंधन इस रीति से करना कि अपिशष्ट बैटरी में अंतर्विष्ट किसी पदार्थ से उत्पन्न किन्हीं प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। इनमें नवीकरण, और/या पुनर्चक्रण सम्मिलित हो सकता है;
- (ड) 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' (ईपीआर) से बैटरी के किसी उत्पादक के लिए अपशिष्ट बैटरी के पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन का उत्तरदायित्व अभिप्रेत है;
- (ढ) 'ईपीआर-रजिस्ट्रीकरण' से ईपीआर हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किसी उत्पादक का रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है:
- (ण) 'सुविधा केंद्र' से ऐसा कोई अवस्थान अभिप्रेत है जिसमें अपिशष्ट बैटरी के संग्रहण/भंडारण/पृथक्करण/ मरम्मत करने, भंजक/पुनर्चक्रण/निपटान की आनुषंगिक प्रक्रियाओं को किया जाता है;
- (त) 'प्ररूप' से इन नियमों के परिशिष्ट में दिया गया कोई प्ररूप अभिप्रेत है;
- (थ) परिसंकटमय अपशिष्ट से परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अधीन परिभाषित परिसंकटमय अपशिष्ट अभिप्रेत है।
- (द) 'औद्योगिक बैटरी' से वहनीय बैटरी, विद्युत यान बैटरी और मोटरयान बैटरी के सिवाय औद्योगिक उपयोगों के लिए डिजाई की गई कोई बैटरी अिभप्रेत है। इनमें सीलबंद बैटरी (वहनीय बैटरी के सिवाय), सील न की गई बैटरी (मोटरयान बैटरी के सिवाय) सम्मिलित हो सकती हैं;
- (ध) 'विनिर्माता' से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में यथापरिभाषित कोई व्यक्ति या इकाई या कंपनी या कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) में यथापरिभाषित कोई कारखाना अभिप्रेत है जिसके पास बैटरी और/या उनके घटकों के विनिर्माण की सुविधाएं हैं;
- (न) 'वहनीय बैटरी' से कोई ऐसी बैटरी अभिप्रेत है जो सीलबंद है, 5 कि.ग्रा. से कम है, औद्योगिक प्रयोजनों, विद्युत यान के लिए या मोटरयान बैटरी के रूप में उपयोग करने के लिए नहीं बनी है;
- (प) 'उत्पादक' से कोई ऐसा निकाय अभिप्रेत है जो निम्निलखित में संलग्न है:
 - अपने ब्रांड के अधीन पुनर्नवीकृत बैटरी, जिनमें उपकरणों में प्रयुक्त बैटरी सम्मिलित हैं, सिहत
 बैटरी का विनिर्माण और विक्रय; या
 - ii. अन्य विनिर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उसके अपने ब्रांड के अधीन उत्पादित पुनर्नवीकृत बैटरी, जिनमें उपकरणों में प्रयुक्त बैटरी सम्मिलित हैं, सहित बैटरी का विक्रय; या
 - iii. बैटरी और बैटरी को सिन्नविष्ट करने वाले उपकरणों का आयात;
- (फ) 'सार्वजनिक अपशिष्ट प्रबंधन प्राधिकरण' से इन नियमों के प्रयोजन के लिए, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगरपालिका और उनकी ओर से सेवाएं देने वाले अभिकरण अभिप्रेत है।
- (ब) 'पुनर्चक्रणकर्ता' से अपशिष्ट बैटरी के पुनर्चक्रण में संलग्न कोई निकाय है;
- (भ) 'नवीकरण' से प्रयुक्त बैटरी को दूसरी बार नए रूप में उपयोग हेतु उनकी मरम्मत, री-कंडीशनिंग और री-पर्पसिंग अभिप्रेत है;
- (म) 'नवीकरणकर्ता' से पुनर्नवीकरण में संलग्न कोई निकाय अभिप्रेत है;
- (य) 'अनुसूची' से इन नियमों के साथ संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है;

- (र) 'राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 के अधीन गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है और इसमें संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समिति भी सम्मिलित हैं;
- (ल) 'भण्डारण' से अपशिष्ट बैटरी का भण्डारण अभिप्रेत है;
- (व) 'शोधन' से पुनर्चक्रण के लिए अपशिष्ट बैटरी के संबंध में संपादित कोई कार्यकलाप अभिप्रेत है;
- (श) 'प्रयुक्त बैटरी' से ऐसी बैटरी और/या उसके घटक अभिप्रेत है जिसका उपयोग किया गया है और जिसका और प्रयोग किया जा सकता है और उसका पुनर्नवीकरण यथोचित है;
- (ष) 'अपशिष्ट बैटरी' में सम्मिलित है:
 - प्रयुक्त और/या ईओएल बैटरी और/या उनके घटक/कल-पुर्जे/ भाग /उपभोज्य सामग्री जो प्रकृति में परिसंकटमय हो
 या नहीं भी हो सकते हैं;
 - प्री-कंज्यूमर ऑफ स्पेक बैटरी और उनके घटक/कल-पुर्जे/ भाग /उपभोज्य सामग्री;
 - वे बैटरी जिनके समुचित उपयोग की तारीख समाप्त हो गई है;
 - वे बैटरी जिन्हें उपयोगिक्ता द्वारा परित्यक्त कर दिया गया है;

उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है, वहीं अर्थ होंगे, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में यथा परिभाषित है।

- 4. उत्पादक के कृत्य (1) उत्पादक की बाजार में उपलब्ध कराई गई बैटरी के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) बाध्यता होगी जिससे उनके पुनर्चक्रण/नवीनीकरण की बाध्यताओं को प्राप्त करना सुनिश्चित हो;
- (2) उत्पादक को, बाजार में उपलब्ध कराई गई बैटरी के लिए अनुसूची-।। में यथा उल्लिखित संग्रहण और पुनर्चक्रण और/या नवीनीकरण लक्ष्यों (ईपीआर लक्ष्यों) को पूरा करना होगा।
- (3) उत्पादक द्वारा संग्रहित की गई अपशिष्ट बैटरी को किसी पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाएगा और कचरा पाटन स्थलों में नहीं भेजा जाएगा या भस्म नहीं किया जाएगा।
- (4) उत्पादक को प्ररूप 1(क) के अनुसार ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण करना होगा। रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र, प्ररूप 1(ख) के अनुसार जारी किया जाएगा।
- (5) उत्पादक, ईपीआर-रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिए, इसकी अवधि समाप्त होने से साठ दिन पहले प्ररूप-1(क) फाइल करेगा;
- (6) उत्पादक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ईपीआर-रजिस्ट्रीकरण में अंतर्विष्ट सूचना में किंही परिवर्तनों में और ईपीआर-रजिस्ट्रीकरण में निर्दिष्ट बैटरी के बाजार में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में किसी स्थाई समाप्ति के बारे में सूचित करेगा।
- (7) उत्पादक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में विनिर्मित बैटरी के लिए प्रत्येक वर्ष की 30 जून की तारीख तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप-1(ग) में ईपीआर योजना प्रस्तुत करेगा। इसमें केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से बैटरी की मात्रा, भार के साथ-साथ बैटरी की सामग्रियों के शुष्क भार की जानकारी होगी।
- (8) उत्पादक, इन नियमों के प्रकाशन से तीन मास के भीतर वित्तीय वर्ष 2022-23 में विनिर्मित बैटरी के लिए ईपीआर योजना प्ररूप-1(ग) में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा;

भारत का राजपत्र : असाधारण

- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए अपशिष्ट बैटरी के संग्रहण के लिए एक (9) पृथक अपशिष्ट केंद्र विकसित करने के लिए उत्पादक, निक्षेप वापसी प्रणाली या बॉय बैक या किसी अन्य मॉडल जैसी योजनाओं का संचालन कर सकते हैं।
- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए, उत्पादक अपशिष्ट बैटरी के संग्रहण, पुनर्चक्रण या नवीनीकरण हेतु स्वयं को या प्राधिकृत किसी अन्य इकाई को संलग्न कर सकता है। तथापि, ईपीआर लक्ष्यों को पूरा करने की बाध्यता उत्पादक की ही रहेगी।
- उत्पादक, अगले वित्तीय वर्ष की जून, 30 तक प्ररूप-3 के अनुसार, ईपीआर के अधीन बाध्यताओं को पूरा करने के लिए संग्रहित और पुनर्चिक्रित/नवीकृत अपशिष्ट बैटरी के संबंध में प्ररूप 3 में केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड और संबद्धक राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिटर्न फाइल करेगा। रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रकों के ब्यौरे, जिनसे ईपीआर प्रमाण-पत्र प्राप्त किए गए हैं, भी प्रदान किया जाएगा।
- (12)उत्पादक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह :-
 - अनुसूची-। में यथा विहित प्रतिबंधों और लेबल लगाने की अपेक्षाओं को पूरा करे;
 - बैटरी/अपशिष्ट बैटरी की सुरक्षित संभलाई सुनिश्चित करें जिससे कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को कोई क्षति न हो:
- उत्पादक अपशिष्ट बैटरी की संभलाई और प्रबंधन में सम्मिलित किसी इकाई द्वारा इन नियमों के किसी उल्लंघन को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संज्ञान में लाएगा।
- उत्पादक की नीचे दी गई सारणी के अनुसार, नई बैटरी में घरेलू रूप से पुनर्चक्रित सामग्रियों के न्यूनतम उपयोग के संबंध में बाध्यता होगी। बैटरी में पुनर्चक्रित सामग्रियों के न्यूनतम उपयोग का आकलन, बैटरी के कुल शुष्क भार की बावत किया जाएगा। आयातित बैटरी के मामले में, उत्पादक को अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग की गई पुनर्चक्रित सामग्रियों की ऐसी मात्रा के माध्यम से या निर्यात करके पुनर्चक्रित सामग्री की ऐसी मात्रा के माध्यम से न्युनतम उपयोग की बाध्यता को पूरा करना होगा।

क्र.सं.	बैटरी का प्रकार	किसी बैटरी के कुल शुष्क भार में से पुनर्चक्रित सामग्रियों का न्यूनतम उपयोग (प्रतिशत में)			
		2027-28	2028-29	2029-30	2030-31 और उसके बाद
1.	पोर्टेबल	5	10	15	20
2.	इलैक्ट्रिक वाहन	5	10	15	20
		2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 और उसके बाद
3.	मोटरयान	35	35	40	40
4.	औद्योगिक	35	35	40	40

- उत्पादक इन नियमों के अधीन आज्ञापक किए गए रजिस्टीकरण के बिना किसी अन्य इकाई के साथ ब्यौहार नहीं (15)करेगा।
- उपभोक्ता के कृत्य (1) उपभोक्ता का यह उत्तरदायित्व होगा कि:-5.
 - अपशिष्ट बैटरी को अन्य अपशिष्ट प्रवाहों विशेष रूप से मिश्रित अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट प्रवाहों से पृथक करके i. बाहर करना;

- 6
 - ii. सुनिश्चित करना कि अपशिष्ट बैटरी को, इसके संग्रहण या नवीनीकरण या पुनर्चक्रण में लगी किसी इकाई को देकर पर्यावरण के अनुकूल रीति से उनका निपटान किया जाता है;
- 6. **लोक अपशिष्ट प्रबंधन प्राधिकरणों के कृत्य (1)** लोक अपशिष्ट प्रबंधन प्राधिकरण संग्रहित की गई अपशिष्ट बैटरी को, उनकी ओर से कार्यरत उत्पादकों या अभिकरणों, या ऐसी इकाई जो उन अपशिष्ट बैटरी का नवीनीकरण या पुनर्चक्रण की दृष्टि से नवीनीकरण/पुनर्चक्रण में लगी हैं या उनका पुनर्चक्रण या नवीनीकरण स्वयं करती हैं, को सौंपेगा।
- 7. संग्रहण, पृथक्करण और शोधन में सिम्मिलित इकाईयों के कृत्य (1) संग्रहण, पृथक्करण और शोधन में सिम्मिलित निकायों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे अपिशष्ट बैटरी को रिजस्ट्रीकृत नवीनकरणकर्ता/ पुनर्चक्रणकर्ता को सौंप दें;
- (2) इस इकाई का उत्तरदायित्व होगा :
 - i. यह सुनिश्चित करे कि सुविधा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मानकों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार है;
 - ii. यह सुनिश्चित करे कि यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कोई कार्यकलाप करता है:
- 8. नवीकरणकर्ता के कृत्य (1) सभी नवीकरणकर्ता केंद्रीकृत पोर्टल पर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिजस्टर होंगे। रिजस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्ररूप 2(ख) के अनुसार पोर्टल का उपयोग करके जारी किया जाएगा।
- (2) यह नवीकरणकर्ता का उत्तरदायित्व होगा कि :
 - i. एक बारगी रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप-2 में आवेदन करे;
 - यह सुनिश्चित करे कि यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कोई कार्यकलाप करता है;
 - iii. यह सुनिश्चित करे कि इकाई के किसी कार्यकलाप से उत्पन्न परिसंकटमय अपशिष्ट को परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार प्रबंधित किया जाए;
 - iv. यह सुनिश्चित करे कि संभलाई और नवीकरण कार्यकलापों के दौरान उत्पन्न अन्य अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 जैसे विद्यमान विनियमों के अनुसार प्रबंधित किया जाए;
 - v. यह सुनिश्चित करें कि नवीकरण प्रक्रियाएं और सुविधाएं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों या मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करती हैं;
 - vi. यह सुनिश्चित करें कि अपशिष्ट बैटरी संग्रहित साधित्र को हटा दिया जाता है यदि बैटरी किसी उपकरण में लगी है।
- (3) नवीकरणकर्ता विभिन्न उत्पादकों/इकाईयों से संग्रहित/प्राप्त उपयोग की गई बैटरी की मात्रा, नवीकृत मात्रा, नवीकरण के पश्चात उत्पन्न ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक अपशिष्ट सहित परिसंकटमय और/या अन्य अपशिष्ट की मात्रा और विद्यमान नियमों के अनुसार ऐसी मात्रा के निपटान से संबंधित सूचना प्ररूप 4 में तिमाही विवरणी के रूप में प्रस्तुत करेंगे और तिमाही विवरणी तिमाही के अंत के उत्तरवर्ती मास के अंत तक फाइल की जाएगी।
- (4) अपशिष्ट बैटरी के नवीकरण में सम्मिलित ईकाइयों द्वारा प्रसंस्कृत अपशिष्ट बैटरी की कुल मात्रा तिमाही आधार पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल के साथ-साथ ईकाइयों की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- (5) नवीकरणकर्ता इन नियमों के अधीन आज्ञापक बनाए गए रजिस्ट्रीकरण के बिना किसी अन्य इकाई के साथ ब्यौहार नहीं करेगा।
- 9. **पुनर्चक्रणकर्ता के कृत्य (1)** सभी पुनर्चक्रणकर्ता ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिजस्टर होंगे। रिजस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्ररूप 2(ख) के अनुसार पोर्टल का उपयोग करके जारी किया जाएगा।

- (2) यह पुनर्चक्रणकर्ता का उत्तरदायित्व होगा कि :
 - i. एक बारगी रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्ररूप-2 में आवेदन करे;
 - ii. यह सुनिश्चित करें कि यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कोई कार्यकलाप करता है;
 - iii. यह सुनिश्चित करें कि इकाई के किसी कार्यकलाप से उत्पन्न परिसंकटमय अपशिष्ट को परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार प्रबंधित किया जाए;
 - iv. यह सुनिश्चित करें कि संभलाई और नवीनीकरण कार्यकलापों के दौरान उत्पन्न अन्य अपशिष्ट को विद्यमान विनियमों जैसे कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अनुसार प्रबंधित किया जाए।
 - v. सुनिश्चित करें कि पुनर्चकरण प्रक्रियाएं और सुविधाएं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों या मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करें।
 - vi. सुनिश्चित करें कि अपशिष्ट बैटरी को संग्रहित साधित्र से हटा दिया जाएगा यदि बैटरी किसी उपकरण में लगी है।
- (3) पुनर्चक्रणकर्ता, विभिन्न उत्पादकों/इकाइयों से संग्रहित/प्राप्त अपिशष्ट बैटरी की मात्रा, पुनर्चक्रित मात्राओं, नियम 10 के उप नियम (4) के अधीन पुनर्प्राप्ति लक्ष्यों के अनुसार सामग्री-वार पुनर्प्राप्ति प्रतिशतता के अनुपालन, पुनर्चक्रण के पश्चात उत्पन्न ठोस अपिशष्ट/प्लास्टिक अपिशष्ट सिहत परिसंकटमय और/या अन्य अपिशष्ट की मात्रा और विद्यमान नियमों के अनुसार ऐसी मात्रा से संबंधित सूचना प्ररूप 4 में तिमाही विवरणी के रूप में प्रस्तुत करेगा और यह तिमाही विवरण, तिमाही के अंत के उत्तरवर्ती मास के अंत तक फाइल की जाएगी।
- (4) अपशिष्ट बैटरी के पुनर्चक्रण में सम्मिलित इकाइयों द्वारा प्रसंस्कृत अपशिष्ट बैटरी की कुल मात्रा तिमाही आधार पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल और इकाइयों की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- (5) नवीकरणकर्ता इन नियमों के अधीन आज्ञापक बनाए गए रजिस्ट्रीकरण के बिना किसी अन्य इकाई के साथ ब्यौहार नहीं करेगा।
- 10. अपशिष्ट बैटरी के लिए प्रमाण पत्र का उपबंध (1) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत अपशिष्ट बैटरी के नवीनीकरण और/या पुनर्चक्रण में सम्मिलित इकाइयां, अपशिष्ट बैटरी प्रसंस्करण के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करेंगी।
- (2) किसी भी दशा में, इकाई द्वारा पुनर्चिक्रित या नवीनीकृत की गई अपिशष्ट बैटरी की मात्रा, इकाई की संस्थापित क्षमता से अधिक नहीं होगी। ये प्रमाणपत्र, श्रेणी-वार अपिशष्ट बैटरी के लिए होंगे और इनमें इकाई का जीएसटी डेटा सम्मिलित होगा।
- (3) रजिस्ट्रीकृत इकाइयों द्वारा प्रदान किया गया अपशिष्ट बैटरी के लिए प्रमाण पत्र, नवीनीकृत/पुनर्चक्रित बैटरी के प्रकार और मात्रा के लिए प्रदान किया जाएगा और ईपीआर बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था करेगा।
- (4) पुनर्प्राप्ति का न्यूनतम प्रतिशत लक्ष्य, बैटरी के शुष्क भार में सभी पुनर्प्राप्त सामग्रियों के कुल भार का प्रतिशत है और पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित बैटरी सामग्री की न्यूनतम पुनर्प्राप्ति का लक्ष्य आज्ञापक किया जाएगा।

क्र.सं.	बैटरी का प्रकार	वर्ष के लिए पुनर्प्राप्ति लक्ष्य (%)			
		2024-25	2025-26	2026-27 और उसके बाद से	
1.	पोर्टेबल	70	80	90	
2.	मोटर यान	55	60	60	

_	8	THE	[PART II—SEC. 3(ii)]		
	3.	औद्योगिक	55	60	60
	4.	विद्युत यान	70	80	90

टिप्पण: अधिकतम पुनर्प्राप्ति का लक्ष्य,बैटरी में गैर-पुनर्प्राप्ति योग्य परिसंकटमय सामग्री की मात्रा के प्रतिशत के अध्यधीन है। इसका अर्थ, अपशिष्ट बैटरी में मौजूद परिसंकटमय सामग्री के समान प्रतिशत के पुनर्प्राप्ति लक्ष्य में कमी करना होगा।

- नियम 15 के अधीन गठित समिति द्वारा तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति तथा अपशिष्ट प्रबंधन में उभर रही नई प्रौद्योगिकियों के आलोक में पुनर्प्राप्त बैटरी सामग्रियों के न्यूनतम स्तरों का पुन: अवलोकन करने के लिए प्रत्येक चार वर्ष में एक बार पुनर्प्राप्ति लक्ष्य की पुनर्विलोकित किया जा सकता है और समिति इस संबंध में पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय को सिफारिश करेगी।
- ईपीआर प्रमाण पत्र, केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पुनर्चक्रित या नवीनीकृत मात्राओं के आधार पर तैयार किए जाएंगे और पूनर्चक्रणकर्ताओं या नवीनीकरणकर्ताओं को सौंपे जाएंगे। पुनर्चक्रणकर्ता या नवीनीकरणकर्ता, अपशिष्ट बैटरी के बदले में उत्पादकों को सौंपे गए ईपीआर प्रमाण पत्र बेच सकते हैं।
- पुनर्चक्रणकर्ताओं और नवीनीकरणकर्ताओं के लिए ईपीआर प्रमाण पत्र विनिर्दिष्ट वर्ष के लिए सामग्री पुन:प्राप्ति लक्ष्यों की पूर्ति प्रतिशतता और घरेलू या आयातित जैसे बैटरी के भौगोलिक स्रोत प्रसंस्कृत बैटरी के भार के आधार पर सुजित किए जाएंगे।
- (8) पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए ईपीआर प्रमाणपत्रों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित सुत्र का प्रयोग किया जाएगा:

ईपीआर प्रमाण पत्र (किलोग्राम) = (प्रतिशत में बैटरी सामग्री की वास्तविक पुन:प्राप्ति/प्रतिशत में बैटरी के प्रकार के विनिर्दिष्ट वर्ष के लिए पुन:प्राप्ति लक्ष्य) x प्रसंस्कृत बैटरी की मात्रा (किलो) x (1-क)

टिप्पण:

क = घरेलू रूप से उत्पन्न अपशिष्ट बैटरी के लिए 0;

क = परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के अधीन अनुमत आयात के माध्यम से प्राप्त अपशिष्ट बैटरी के लिए 0.2

- प्रवर्गों में अधिशेष ईपीआर प्रमाणपत्रों का उपयोग केवल उसी प्रवर्ग की बैटरी के लिए ऑफ़-सेटिंग, अग्रनयन और विक्रय के लिए किया जा सकता है।
- (i) पुनर्चक्रण के अधीन अधिशेष ईपीआर प्रमाणपत्र का पुनर्चक्रण के लिए उपयोग किया जा सकता है। नवीनीकरण के अधीन अधिशेष का पुनर्चक्रण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- (10) उत्पादक उसी श्रेणी की बैटरी के अन्य उत्पादकों से अधिशेष ईपीआर प्रमाण पत्र खरीदकर एक प्रवर्ग के अधीन अपने ईपीआर बाध्यता को पूरा कर सकता है।
- (11) उत्पादक ईपीआर प्रमाण पत्र खरीद सकता है, जो चालू वर्ष के अपने ईपीआर दायित्व और पूर्ववर्ती वर्षों के किसी शेष दायित्व और वर्तमान वर्ष के दायित्व को 10% तक सीमित है।
- (12) जैसे ही उत्पादक ईपीआर प्रमाण पत्र खरीदता है, वह स्वत: ही उसके दायित्व के संदर्भ में समायोजित हो जाएगा।
- (i) समायोजन में पूर्वतर दायित्व को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (ii) ईपीआर बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक द्वारा उपयोग किए गए ईपीआर प्रमाणपत्रों का पुन: आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा।

- (13) ऐसे सभी संव्यवहारों को अभिलिखित किया जाएगा और ऑनलाइन पोर्टल पर तिमाही विवरणियां भरते समय नवीनीकरणकर्ताओं या पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
- (14) उत्पादक की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए नवीनीकरणकर्ता या पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा सृजित ईपीआर प्रमाण पत्र सात वर्ष की अविध के लिए विधिमात्र होंगे।

11. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कृत्य

- (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डऑनलाइन पोर्टल प्ररूप 1 (ख) के माध्यम से उत्पादकों को रजिस्टर करेगा;
- (2) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों के साथ-साथ विवरणियों पर कार्यवाही करने के लिए फीस अवधारित कर सकता है।
- (3) पूर्ण आवेदन जमा करने के दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा।
- (4) उत्पादक का रजिस्ट्रीकरण पांच वर्ष तक की अवधि के लिए विधिमान्य होगा;
- (5) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ उत्पादक की ईपीआर योजना के साथ-साथ उत्पादकों के रजिस्ट्रीकरण ब्यौरे साझा करेगा;
- (6) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जमा किए गए प्ररूप 1(क) के आधार पर रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण करेगा;
- (7) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अनुसूची II के अनुसार ईपीआर बाध्यताओं का अनुपालन न करने के मामले में रजिस्ट्रीकरण को निलंबित और/या रद्द कर देगा, और/या पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगायेगा;
- (8) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्पादकों द्वारा इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जिसमें दूरस्थ अनुबंधों के माध्यम से बैटरी की आपूर्ति करने वाले भी सम्मिलित हैं;
- (9) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण तभी किया जाता है जब वह इन नियमों के अधीन अन्यथा निलंबित और/या रद्द नहीं किया गया है और दो सप्ताह के भीतर आपत्ति न होने पर यह जारी समझा जाएगा;
- (10) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं या किसी अभिहित अभिकरण के माध्यम से निरीक्षण और आवधिक लेखापरीक्षा के माध्यम से उत्पादकों द्वारा अनुपालन का सत्यापन करेगा।
- (i) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यथा अपेक्षित, निरीक्षण और आवधिक लेखापरीक्षा के माध्यम से अपिशष्ट बैटरी के नवीनीकरण/पुनर्चक्रण में सम्मिलित इकाइयों द्वारा अनुपालन को भी सत्यापित कर सकता है।
- (ii) ईपीआर दायित्वों सहित इन नियमों के अधीन उल्लंघनों और बाध्यताओं को पूरा न करने के लिए कार्रवाई, नियम 13 के अनुसार होगी।
- (iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संचालित इकाइयों के मामले में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि अपेक्षित हो, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई करने का निदेश दे सकता है;
- (11) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्वयं या अभिहित अभिकरण द्वारा इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत इकाई की जीएसटीएन पोर्टल से जानकारी का उपयोग करने सहित आंकडों की लेखा परीक्षा करेगा;
- (12) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत इकाई द्वारा इन नियमों के उल्लंघन के मामले में उत्पादकों के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित और/या रद्द करेगा, और/या पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाएगा;

- (13) उत्पादकों के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित करने या रद्द करने के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के विरूद्ध की गई अपील पर कार्रवाई का अधिकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास है और अपील प्रस्तुत करने के पश्चातु 45 दिनों के भीतर इसका निपटान कर दिया जाएगा।
- (14) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संयुक्त सचिव या समतुल्य अधिकारी को अपीली प्राधिकारी के रूप में अभिहित किया जाएगा।
 - (i) अपीलार्थी द्वारा अभिहित अपीली प्राधिकारी को लिखित रूप में अपील की जाएगी और आदेश के पारित होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर उस आदेश की एक प्रति के साथ अपील की जाएगी जिसके विरूद्ध अपील की गई है।
- (15) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पुनर्चक्रकों या नवीनीकरणकर्ताओं के रजिस्ट्रीकरण के निलंबन और/या रद्द करने के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के विरूद्ध पुनर्चक्रक या नवीनीकरणकर्ता द्वारा की गई अपील का निपटान अपील की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर किया जाएगा;
- (16) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव को अपीली प्राधिकारी के रूप में अभिहित किया जाएगा।
 - (i) अपीलार्थी द्वारा अभिहित अपीली प्राधिकारी को लिखित रूप में अपील की जाएगी और आदेश के पारित होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर उस आदेश की एक प्रति के साथ अपील की जाएगी जिसके विरूद्ध अपील की गई है।
- (17) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपशिष्ट बैटरी के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, नवीनीकरण और पुनर्चक्रण को पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं के लिए मार्ग दर्शक सिद्धांत जारी करेगा;
- (18) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रत्येक वर्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आंकड़ों को संकलित और प्रकाशित करेगा;
- (19) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर ईपीआर प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान के लिए प्रणाली तैयार करेगा।
- (20) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन उत्पादकों की सूची प्रकाशित करेगा जो वार्षिक आधार पर ईपीआर लक्ष्यों और बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रहे हैं;
- (21) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ईपीआर योजनाओं और उत्पादकों की वार्षिक विवरणी को साझा करेगा;
- (22) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के अधीन बाध्यताओं की पूर्ति में पणधारियों के बीच नियमित संवाद सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा।
- (23) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियम 15 के अनुसार एक कार्यान्वयन समिति का गठन करेगा और इसे मजबूत बनाने के लिए सिफारिशें करेगा।
 - (i) सिमिति अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी;
- (24) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विशेष रूप से बैटरी सामग्री की पुन:प्राप्ति पर नियम 10 के उपनियम (4) के बाबत तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और साध्येता के लिए अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन से संबंधित प्रौद्योगिकियों का पुनर्विलोकन करेगा।
- (25) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपशिष्ट बैटरी के नवीनीकरण और पुनर्चक्रण के संबंध में प्रौद्योगिकियों और मानकों के बारे में मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा;

- (26) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर पुनर्चक्रण से बैटरी सामग्री की पुन:प्राप्ति के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सिफारिश करेगा;
- 12. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कृत्य (1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑनलाइन प्ररूप 2 (ख) के माध्यम से नवीनीकरण और पुनर्चक्रण में सम्मिलित इकाई को रजिस्टर करेगा।
- रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पोर्टल पर किया जाएगा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या एक अनिहित अभिकरण के माध्यम से अपनी अधिकारिता में निरीक्षण और आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से अपशिष्ट बैटरी के नवीनीकरण और पुनर्चक्रण में सम्मिलित इकाई के अनुपालन को सत्यापित करेगा, जैसा उचित समझा जाए,
- (2) यदि अपशिष्ट बैटरी के नवीनीकरण या पुनर्चक्रण में सम्मिलित इकाई द्वारा प्रदान की गई जानकारी मिथ्या पाई जाती है, तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियम 13 के अधीन कार्रवाई सिहत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पांच वर्ष की अविध के लिए रजिस्ट्रीकरण को निलंबित और / या रद्द कर देगा।
- (3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वार्षिक आधार पर अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यताओं को पूरा नहीं करने वाली इकाइयों की सूची बनाएगा और उसे प्रकाशित करेगा।
- (i) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपशिष्ट बैटरी के नवीनीकरण या पुनर्चक्रण में सम्मिलित इकाइयों द्वारा प्रस्तुत की गई तिमाही रिपोर्टों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संकलित और अग्रेषित करेगा और ऑनलाइन प्रकाशित करेगा।
- (4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के अधीन बाध्यताओं की पूर्ति में सम्मिलित संबंधित पणधारियों के बीच नियमित संवाद सुनिश्चित करेगा।
- (5) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में प्रत्येक वर्ष 30 जून तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- 13. उल्लंघन पर कार्रवाई और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण (1) प्रदूषक क्षतिपूर्ति सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी लगाई जाएगी:
 - i. इन नियमों के अधीन आज्ञापक रजिस्ट्रीकरण के बिना गतिविधियों को संचालित करने वाली संस्थाएं;
 - इन नियमों के अधीन रिजस्ट्रीकृत इकाइयों द्वारा मिथ्या जानकारी प्रदान करना/ भौतिक तथ्यों को जानबुझकर छिपाना;
 - iii. इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत इकाइओं द्वारा कूटरचित जाली/छलसाधन किए गए दस्तावेज़ प्रस्तुत करना;
 - iv. अपशिष्ट बैटरी के उचित प्रबंधन का अनुपालन नहीं करने के संबंध में संग्रह, पृथक्करण और शोधन में लगी इकाइयों।
- (2) इन कार्यकलापों को, अपवंचन या उल्लंघन की दशा में या तो स्वयं इकाई द्वारा या बाध्यताओं के अपवंचन या उल्लंघन में किसी बाध्य इकाई की मदद करने पर, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 उपबंधों के अधीन भी निपटाया जा सकता है।
- (3) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियम 15 के अधीन गठित कार्यान्वयन समिति इन नियमों के अधीन बाध्यताओं को पूरा न करने की स्थिति में, अपिशष्ट बैटरी के नवीनीकरण और पुनर्चक्रण में सम्मिलित उत्पादकों और इकाइयों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति का अधिरोपण और संग्रहण करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगी और सिफारिश करेगी।
 - (i) ऐसी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को प्रभावी करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अनुशंसित मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किए जाएंगे।

- (4) इन नियमों में उपवर्णित अपने ईपीआर लक्ष्यों, उत्तरदायित्वों और बाध्यताओं को पूरा न करने के बाबत में काम कर रहे उत्पादकों पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति उद्गृहीत की जाएगी;
- (5) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपिशष्ट बैटरी के नवीनीकरण या पुनर्चक्रण में सिम्मिलित इकाइयों के साथ-साथ संग्रहण, पृथक्करण और शोधन में सिम्मिलित उन इकाइयों पर उद्गृहीत की जाएगी, उनकी अधिकारिता में इन नियमों के अधीन उपवर्णित अपने उत्तरदायित्वों और बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रहे हैं। यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड साठ दिन में कार्रवाई नहीं करता है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण कोर्ड को निर्देश जारी करेगा।
- (6) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान इन नियमों के अधीन उपवर्णित ईपीआर बाध्यता के उत्पादकों को मुक्त नहीं करेगा।
 - (i) किसी विशेष वर्ष के लिए पूर्ण न की गई ईपीआर बाध्यता अगले वर्ष के लिए तीन वर्षों की अवधि के लिए अग्रेषित की जाएगी।
 - (ii) यदि ईपीआर दायित्व की कमी को पश्चात्वर्ती वर्षों में तीन वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाता है, तो उद्ग्रहीत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को नीचे दिए गए अनुसार उत्पादकों को वापस कर दिया जाएगा:
 - 1. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उद्ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर : 75% वापस
 - 2. दो वर्ष के भीतर: 60% वापस
 - 3. तीन वर्ष के भीतर: 40% वापस
- (7) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देय होने के 3 वर्ष पूरे होने के पश्चात्, पूरी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रकम समपहत कर ली जाएगी। यह व्यवस्था पश्चात् के वर्षों में भी संबंधित इकाइयों द्वारा अपशिष्ट बैटरी के संग्रहण और नवीनीकरण/पुनर्चक्रण के लिए अनुज्ञा देगी।
- (8) पर्यावरण क्षतिपूर्ति के अधीन संग्रहित निधि को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डया राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक अलग निलम्ब लेखा में रखा जाएगा।
 - (i) संग्रहित निधियों धनराशि का उपयोग ऐसी संग्रहित न की गई और गैर-पुनर्नवीनीकरण या नवीनीकृत अपशिष्ट बैटरी के संग्रहण और नवीनीकरण या पुनर्चक्रण में किया जाएगा, जिसके लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है।
 - (ii) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए कार्यान्वयन समिति द्वारा अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन के लिए निधियों के उपयोग के तौर-तरीकों की सिफारिश की जाएगी।
- (9) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन उपवर्णित बाध्यताओं की पूर्ति न करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के उपबंधों के अधीन दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- 14. केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के प्रारंभ के छह मास के भीतर रिजस्ट्रीकरण के साथ-साथ उत्पादकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और अपिशष्ट बैटरी के नवीनीकरणकर्ताओं द्वारा विवरण फाईल करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करेगा।
- (2) ऐसी प्रणाली एक तंत्र सुनिश्चित करेगी जिसमें उत्पादकों के ईपीआर बाध्यताओं के अनुसार अपशिष्ट बैटरी की बकाया सामग्री परिलक्षित होती है। यह अपशिष्ट बैटरी के नवीनीकरण और पुनर्चक्रण में सम्मिलित उत्पादकों और इकाइयों के लेखा परीक्षा से संबंधित ब्यौरे भी दर्शाएगा।

भारत का राजपत्र : असाधारण

- 13
- (3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्पादकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वेब पोर्टल का उपयोग भी अपशिष्ट बैटरी के नवीनीकरण और पुनर्चक्रण में सम्मिलित इकाइयों को रजिस्ट्रीकृत करने हेतु करेगा।
- (4) इन नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के संबंध में वेब पोर्टल एकल बिंदु आंकड़ा संग्रह के रूप में कार्य करेगा।
- (5) उत्पादक, ऑनलाइन पोर्टल के विकास की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।
- 15. **कार्यान्वयन के लिए समिति (1)** इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उपायों की सिफारिश करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में केंद्रीय सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा।
- (2) यह सिमतिइन नियमों के कार्यान्वयन की मानीटरी करेगी और कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय भी करेगी।
- (3) इस समितिको ऑनलाइन पोर्टल के विकास और संचालन के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण का भी काम सौंपा जाएगा।
- (4) इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूपों में कोई संशोधन केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से समिति द्वारा किया जा सकता है।
- (5) इस समिति में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, रसायन और पेट्रो केमिकल्स विभाग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जैसे संगठनों के प्रतिनिधि और पणधारियों जैसे उत्पादकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और नवीनीकरणकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संगमों, और समिति के अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित कोई अन्य पणधारी सम्मिलित होंगे।

[फा. सं. 12/36/2019-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

अनुसूची-।

निषेध और लेबलिंग अपेक्षाएं

1. बैटरी में भारी धातु की मात्रा संबंधी निषेध

- एक बैटरी जिसके भार में 0.0005% (5 पीपीएम) तक पारा शामिल है को केवल 2025 तक उपयोग में ला सकते हैं;
- एक बैटरी जिसके भार में 0.002% (2000 पीपीएम) तक कैडमियम होता है, को केवल उपयोग में ला सकते है।
- पैरा ग्राफ (1) (i) भार में <2% पारा तत्व के साथ बटन जिंक सिल्वर आक्साइड बैटरी और <2% पारा तत्व के साथ बटन जिंक एयर बैटरी पर लागू नहीं होगा।
- पैराग्राफ (1) (i) में दिया गया प्रतिबंध निम्नलिखित उपयोग के लिए पोर्टेबल बैटरी पर लागू नहीं होगा:
 - क. आपातस्थिति प्रकाश व्यवस्था सहित आपातस्थिति और चेतावनी प्रणाली;
 - ख. चिकित्सा उपकरण

2. लेबल लगाने की आवश्यकता

क. उत्पादक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बैटरी या बैटरी पैक भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अपेक्षित लेबलिंग आवश्यकताओं के साथ उचित रूप से चिह्नित हैं।

- ख. सभी अपेक्षित लेबल और प्रतीकों को प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्टता से और अमिट रूप से मुद्रित किया जाना चाहिए।
- ग. कोई भी व्यक्ति किसी भी बैटरी या बैटरी पैक को तब तक बाजार में प्रस्तुत नही करेगा जब तक बैटरी या बैटरी पैक के सबसे बड़े भाग के कम से कम 3% क्षेत्र में (अधिकतम आकार 5 सेमी.x5 सेमी. तक) चित्र 1 में दर्शाये गए 'क्रॉस चिन्ह वाले पहियादार कूड़ेदान का निशान' नहीं लगाया हो। बेलनाकार बैटरी के मामले में, क्रास चिन्ह वाले पहियादार कूड़ेदान का निशान बैटरी या बैटरी पैक की सतह पर कम से कम 1.5% क्षेत्र में लगाया जाएगा, अधिकतम आकार 5 सेमी. X5 सेमी. तक।
- घ. जहां बैटरी या बैटरी पैक का आकार ऐसा है कि क्रास चिन्ह वाले पहियादार कूड़ेदान का निशान 0.5 x0.5 सेमी. से कम हो, वहां बैटरी या बैटरी पैक पर निशान लगाने की आश्यकता नही है किंतु पैकेजिंग पर कम से कम 1x1 सेमी. माप का क्रास चिन्ह वाले पहियादार कूड़ेदान का निशान अंकित किया जाएगा।
- ड. कोई भी व्यक्ति बाजार में पारा, कैडिमियम या लेड़ वाली बैटरी या बटन सेल तब तक प्रस्तुत नही कर सकता जब तक उस पर संबंधित रासायनिक चिन्ह ''एचजी'', ''सीडी'' और ''पीबी'' अंकित नही किया गया हो। भारी धातु का प्रतीक निम्नलिखित रूप से होगा:-
 - (i) चित्र 1 में दिखाए गए प्रतीक के नीचे मुद्रित किया जाना चाहिए; और
 - (ii) क्रास चिन्ह वाले पहियेदार कूड़ेदान के प्रतीक के आकार के कम से कम एक चौथाई क्षेत्र को कवर करें।



चित्र I. क्रास चिन्ह वाला पहियेदार कूड़ेदान का प्रतीक

सीडी एचजी पीबी

चित्र II: भारी धातु प्रतीक

अनुसूची-॥

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए लक्ष्य

(i) यदि एक नये उत्पादक के द्वारा इन नियमों के प्रकाशित होने के बाद के वर्षों में बैटरी को बाजार में प्रस्तुत करने के मामले में संबंधित प्रकार के बैटरी के ईपीआर लक्ष्य विभिन्न प्रकार की बैटरी के लिए लागू होंगे, जो नीचे दी गई तालिकाओं में उल्लिखित बैटरी के औसत जीवन के आधार पर होगा।

- (ii) ईपीआर लक्ष्य में नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित संग्रह लक्ष्य और संबंधित वर्ष के ईपीआर संग्रह लक्ष्य के 100% पुनर्चक्रण और/या नवीनीकरण लक्ष्य शामिल होंगे।
- (iii) अपशिष्ट बैटरी के पुनर्चक्रण का अर्थ है लेड़, निकल, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, प्लास्टिक, रबर, ग्लास इत्यादि जैसी बैटरी सामग्री का पुनर्चक्रण।
- (iv) उत्पादक के लिए ईपीआर लक्ष्य प्रत्येक प्रकार की वहनीय बैटरी, मोटरयान, औद्योगिक और विद्युत यान बैटरी के भीतर बैटरी ,जैसे लेड़ एसिड, ली-आयन, निकल कैडमियम, जिंक आधारित बैटरिया आदि) के प्रकार के लिए विशिष्ट होगा।
- (v) उत्पादक अपने ईपीआर दायित्व को पुनर्चक्रणकर्ताओं/नवीनीकरणकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए ईपीआर प्रमाण पत्र के माध्यम से पूरा करेगा। पुनर्चक्रणकताओं/नवीनीकरणकर्ताओं के साथ ईपीआर प्रमाण-पत्रों की अनुपलब्धता के मामले में, उत्पादक के पास संग्रह की भी जिम्मेदारी होगी।
- (vi) उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स में उपयोग की गई वहनीय बैटरी के लिए जो पुन:आवेशनीय हैं:

सं.	अनुपालन चक्र	वर्ष	अनिवार्य रूप से अपशिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य और संग्रह लक्ष्य के नवीनीकरण/पुनर्चक्रण का 100% (भार)	अनिवार्य अपिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य और प्रत्येक दस वर्ष के चक्र के लिए 100% नवीनीकरण और/या पुनर्चक्रण लक्ष्य
(i)	2022-23 2031-32	2022-23	वर्ष 2017-18 में बाजार में प्रस्तुत बैटरी की मात्रा का कम से कम 50%	दस वर्ष के अनुपालन चक्र के दौरान बाजार में रखी गयी बैटरी के संदर्भ में दस वर्ष के अनुपालन चक्र (10 वें
(ii)		2023- 2024	वर्ष 2018-19 में बाजार में प्रस्तुत बैटरी की मात्रा का कम से कम 60%	वर्ष के अंत) तक 100% अपशिष्ट बैटरी का संग्रह और 100% नवीनीकरण/पुनर्चक्रण अनिवार्य
(iii)		2024- 2025	वर्ष 2019-20 में बाजार में प्रस्तुत बैटरी की मात्रा का कम से कम 70%	होगा। तथापि, अगले अनुपालन चक्र के लिए दस वर्ष के चक्र के दौरान प्रति
(iv)		2025-2026	वर्ष 2020-21 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	वर्ष बाजार में रखी गई बैटरी की औसत मात्रा का 60% तक आगे बढ़ाया जा सकता है।
(v)		2026-2027	वर्ष 2021-22 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	
(vi)		2027-28	वर्ष 2022-23 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	
(vii)		2028-29	वर्ष 2023-24 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा न्यूनतम 70% मात्रा।	

(viii)		2029-30	वर्ष 2024-25 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	
(ix)		2030-31	वर्ष 2025-26 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	
(x)		2031-32	वर्ष 2026-27 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	
(xi)	वर्ष 2032-33 से 2041-42, और आगे	2032-33 और उसके बाद	5 ^{वें} पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (अर्थात 2027-28) और उसके बाद बाजार में रखी गई बैटरी की न्यूनतम मात्रा का 70%।	दस वर्ष के अनुपालन चक्र के दौरान बाजार में रखी गई बैटरी के संदर्भ में दस वर्ष के अनुपालन चक्र (10 ^{वें} वर्ष के अंत) के अंत तक 100% अपशिष्ट बैटरी का संग्रह और 100% नवीनीकरण/ पुनर्चक्रण अनिवार्य होगा। तथापि, अगले अनुपालन चक्र के लिए दस वर्ष के चक्र के दौरान प्रति वर्ष बाजार में रखी गई बैटरी की औसत मात्रा का 60% तक आगे बढ़ाया जा सकता है।

उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स में इस्तेमाल होने वालों जो फिर से रिचार्ज करने के लायक हैं, को छोड़कर वहनीय बैटरी के लिए:

सं.	अनुपालन चक्र	वर्ष	अपशिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य और लक्ष्य के नवीनीकरण / पुनर्चक्रण का 100% (भार)	अनिवार्य अपशिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य, और हर दस वर्ष के चक्र के लिए 100% नवीनीकरण और/या रीसाइक्लिंग लक्ष्य (भार)
(i)	2025-26 से 2034-35तक	2025-2026	वर्ष 2022-23 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 50%।	दस वर्ष के अनुपालन चक्र के दौरान बाजार में रखी बैटरी के संदर्भ में दस
(ii)		2026-2027	वर्ष 2023-24 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 60%।	वर्ष के अनुपालन चक्र (10 वें वर्ष के अंत) के अंत तक 100% अपशिष्ट
(iii)		2027-2028	वर्ष 2024-25 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	बैटरी का संग्रह और 100% नवीनीकरण / पुनर्चक्रण अनिवार्य होगा।
(iv)		2028-2029	वर्ष 2025-26 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	तथापि, अगले अनुपालन चक्र के
(v)		2029-2030	वर्ष 2026-27 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	लिए दस वर्ष के चक्र के दौरान प्रति वर्ष बाजार में रखी गई बैटरी की औसत मात्रा का 60% तक आगे
(vi)		2030-2031	वर्ष 2027-28 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	बढ़ाया जा सकता है ।

(vii)		2031-2032	वर्ष 2028-29 में बाजार में रखी गई	
			बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	
(viii)		2032-2033	वर्ष 2029-30 में बाजार में रखी गई	
			बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	
(ix)		2033-2034	वर्ष 2030-31 में बाजार में रखी गई	
			बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	
(x)		2034-2035	वर्ष 2031-32 में बाजार में रखी गई	
			बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	
(xi)	वर्ष 2035-36 से	2035-2036	तीसरे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (यानी	दस वर्ष के अनुपालन चक्र के दौरान
	2044-45 तक,	और उसके बाद	2032-33) और उसके बाद बाजार में	बाजार में रखी बैटरी के संदर्भ में दस
	और उसके बाद		रखी गई बैटरी की न्यूनतम मात्रा का	वर्ष के अनुपालन चक्र (10 वें वर्ष के
			70%	अंत) के अंत तक 100% अपशिष्ट
				बैटरी का संग्रह और 100%
				नवीनीकरण / पुनर्चक्रण अनिवार्य
				होगा ।
				तथापि, अगले अनुपालन चक्र के
				लिए दस वर्ष के चक्र के दौरान प्रति
				वर्ष बाजार में रखी गई बैटरी की
				औसत मात्रा का 60% तक आगे
				बढ़ाया जा सकता है।

(viii) मोटरयान बैटरी के लिए

सं.	अनुपालन चक्र	वर्ष	अनिवार्य अपशिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य और संग्रह लक्ष्य के नवीनीकरण / पुनर्चक्रण का 100% (भार)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(i)	वर्ष 2022-23 से 2028-29	2022-2023	वर्ष 2019-20 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 30%।	सात वर्ष के अनुपालन चक्र के दौरान बाजार में रखी गई बैटरी के संदर्भ में सात वर्ष के अनुपालन चक्र (7वें वर्ष
(ii)		2023-2024	वर्ष का न्यूनतम 2020-21 में बाजार में बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 50%।	के अंत) के अंत तक 100% बेकार बैटरी का संग्रह और
(iii)		2024-2025	वर्ष 2021-22 में बाजार में रखी गई बैटरी बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	अनिवार्य होगा। तथापि, अगले अनुपालन चक्र के
(iv)		2025-2026	वर्ष 2022-23 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 90%।	लिए सात वर्ष के चक्र के दौरान प्रति वर्ष बाजार में रखी गई बैटरी की औसत मात्रा का 20% तक आगे
(v)		2026-2027	वर्ष 2023-24 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 90%।	बढ़ाया जा सकता है।
(vi)		2027-2028	वर्ष 2024-25 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 90%।	

(vii)		2028-2029	वर्ष 2025-26 में बाजार में रखी गई	
			बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 90%।	
(viii)	वर्ष 2029-30 से	2029-2030	तीसरे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (अर्थात	सात वर्ष के अनुपालन के दौरान
	2035-36 तक,	और उसके बाद	2026-27) और उसके बाद बाजार में	बाजार में रखी गई बैटरी के संदर्भ में
			 रखी गई बैटरी की न्यनतम 90%	सात वर्ष के अनुपालन चक्र (7 ^{वें} वर्ष
	311 < 3 <1 17 414		मात्रा	के अंत) के अंत तक 100% बेकार
				बैटरी का संग्रह और 100%
				नवीनीकरण / पुनर्चक्रण अनिवार्य
				होगा।
				तथापि, अगले अनुपालन चक्र के
				लिए सात वर्ष के चक्र के दौरान प्रति
				वर्ष बाजार में रखी गई बैटरी की
				औसत मात्रा का 20% तक आगे
				बढ़ाया जा सकता है।

(ix) औद्योगिक बैटरी के लिए:

सं.	अनुपालन चक्र	वर्ष	और संग्रह लक्ष्य के नवीनीकरण / पुनर्चक्रण का 100% (भार)	अनिवार्य अपशिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य, और हर सात वर्ष के चक्र के लिए 100% नवीनीकरण और/या पुनर्चक्रण लक्ष्य (भार)
(i)	वर्ष 2022-23 से 2028-29	2022-2023	वर्ष 2019-20 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा है का न्यूनतम 40%।	सात वर्ष के अपनुपालन चक्र के दौरान बाजार में रखी गई बैटरी के संदर्भ में सात वर्ष के अनुपालन चक्र (7 ^{वें} वर्ष के
(ii)		2023-2024	वर्ष 2020-21 में बाजार में बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 50%।	का सग्रह और 100% नवीनीकरण / पुनर्चक्रण अनिवार्य होगा ।
(iii)		2024-2025	बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 60%।	तथापि, अगले अनुपालन चक्र के लिए सात वर्ष के चक्र के दौरान प्रति वर्ष बाजार में रखी गई बैटरी की औसत मात्रा का 60% तक आगे बढ़ाया जा
(iv)		2025-2026	2022-23 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	सकता है।
(v)		2026-2027	वर्ष 2023-24 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	

(vi)	2027-2028	वर्ष 2024-25 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	
(vii)	2028-2029	वर्ष 2025-26 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	
(viii)	उसके बाद	2026-27) और उसके बाद बाजारमें रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%	सात वर्ष के अनुपालन चक्र के दौरान बाजार में रखी गई बैटरी के संदर्भ में सात वर्ष के अनुपालन चक्र (7 ^व वर्ष के अंत) के अंत तक 100% बेकार बैटरी का संग्रह और 100% नवीनीकरण / पुनर्चक्रण अनिवार्य होगा। तथापि, अगले अनुपालन चक्र के लिए सात वर्ष के चक्र के दौरान प्रति वर्ष बाजार में रखी गई बैटरी की औसत मात्रा का 60% तक आगे बढ़ाया जा सकता है।

(x) ई-रिक्शा (तीन पहिया वाहनों) की विद्युत यान की (ईवी) बैटरी के लिए:

सं.	श्रमाग्रस्य सक	वर्ष	अनिवार्य अपशिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य	अनिवार्य अपशिष्ट बैटरी संग्रह
η.	अनुपालन चक्र	99	और संग्रह लक्ष्य के नवीनीकरण /	
			`	
			पुनर्चक्रण का 100%	लिए 100% नवीनीकरण और/या
			(भार)	पुनर्चक्रण लक्ष्य
				(भार)
(i)	वर्ष 2024-25 से	2024-2025	वर्ष 2021-22 में बाजार में रखी गई	
	2030-31 तक		बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	दौरान बाजार में रखी गई बैटरी के
	2000 01 (()			संदर्भ में सात वर्ष के अनुपालन चक्र
				(7वें वर्ष के अंत) के अंत तक 100%
(ii)		2025-2026	वर्ष 2022-23 में बाजार में रखी गई	बेकार बैटरी का संग्रह और 100%
			बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	नवीनीकरण / पुनर्चक्रण अनिवार्य
				होगा।
(iii)		2026-2027	वर्ष 2023-24 में बाजार में रखी गई	तथापि, अगले अनुपालन चक्र के
			बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	लिए सात वर्ष के चक्र के दौरान
			वटरा का मात्रा का न्यूनराम 70%।	प्रति वर्ष बाजार में रखी गई बैटरी
	_			की औसत मात्रा का 60% तक आगे
(iv)		2027-2028	वर्ष 2024-25 में बाजार में रखी गई	बढ़ाया जा सकता है।
			बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	
(, ,)	_	2028-2029		
(v)		2020-2029	वर्ष 2025-26 में बाजार में रखी गई	
			बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	

20 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

(vi)			वर्ष 2026-27 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	
(vii)			वर्ष 2027-28 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	
(viii)	2031-32 2037- 38 तक और आगे	-2031-2032 और उसके बाद	तीसरे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (यानी 2028-29) और उसके बाद बाजार में रखी गई बैटरी की न्यूनतम 70% मात्रा	, , , , , ,

(xi) दोपहिया वाहनों के विद्युत यान (ईवी) बैटरी के लिए:

सं.	अनुपालन चक्र	वर्ष	अनिवार्य अपशिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य और संग्रह लक्ष्य के नवीनीकरण / पुनर्चक्रण का 100% (भार)	
(i)	वर्ष 2026-27 से 2032-33 तक	2026-2027	वर्ष 2022-23 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	सात वर्ष के अनुपालन चक्र के दौरान बाजार में रखी गई बैटरी के संदर्भ में सात वर्ष के अनुपालन चक्र (7 ^{वं} वर्ष
(ii)		2027-2028	वर्ष 2023-24 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	के अंत) के अंत तक 100% बेकार बैटरी का संग्रह और 100% नवीनीकरण / पुनर्चक्रण अनिवार्य होगा।
(iii)		2028-2029	वर्ष 2024-25 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	तथापि, अगले अनुपालन चक्र के लिए सात वर्ष के चक्र के दौरान प्रति वर्ष बाजार में रखी गई बैटरी की औसत
(iv)		2029-2030	वर्ष 2025-26 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	मात्रा का 60% तक आगे बढ़ाया जा सकता है।
(v)		2030-2031	वर्ष 2026-27 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	
(vi)		2031-2032	वर्ष 2027-28 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम	

(vii)	2032-2033	70%। वर्ष 2028-29 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	
(viii)	वर्ष 2033-2034 और उसके बाद	चौथे वित्तीय वर्ष (अर्थात 2029- 30) और उसके बाद बाजारमें रखी गई बैटरी की न्यूनतम मात्रा का 70%	सात वर्ष के अनुपालन चक्र के दौरान बाजार में रखी गई बैटरी के संदर्भ में सात वर्ष के अनुपालन चक्र (7वं वर्ष के अंत) के अंत तक 100% बेकार बैटरी का संग्रह और 100% नवीनीकरण/ पुनर्चक्रण अनिवार्य होगा। तथापि, अगले अनुपालन चक्र के लिए सात वर्ष के चक्र के दौरान प्रति वर्ष बाजार में रखी गई बैटरी की औसत मात्रा का 60% तक आगे बढ़ाया जा सकता है।

(xii) चार पहिया वाहनों से युक्त विद्युत यान (ईवी) बैटरी के लिए:

सं.	अनुपालन चक्र	वर्ष		अनिवार्य अपशिष्ट बैटरी संग्रह लक्ष्य, 'और प्रत्येक चौदह वर्ष के चक्र के लिए 100% नवीनीकरण और/या पुनर्चक्रण लक्ष्य (भार)
(i)	2029-30 से 2042-43 तक	2029-2030	वर्ष 2021-22 में बाजार में रखी गई बैटरी की मात्रा का न्यूनतम 70%।	चौदह वर्षीय अनुपालन चक्र के दौरान बाजार में रखी बैटरी के संदर्भ में 14वें अनुपालन चक्र के
(ii)		2030-2031	वर्ष 2022-23 में बाजार में रखी बैटरी की मात्रा का कम से कम 70% भाग	अंत में (14वें वर्ष के अंत में) बैटरी का 100% संग्रह एवं 100% नवीनीकरण/पुनर्चक्रण अनिवार्य होगा।
(iii)		2031-2032	वर्ष 2023-24 में बाजार में रखी बैटरी की मात्रा का कम से कम 70% भाग	फिर भी,चौदह वर्षीय चक्र के दौरान बाजार में प्रतिवर्ष रखी गई बैटरी की औसत मात्रा का 20% अगले अनुपालन चक्र में आगे ले जाया जा सकता है।
(iv)		2032-2033	वर्ष 2024-25 में बाजार में रखी बैटरी की मात्रा का कम से कम 70% भाग	નું આવા આ લગલા હા
(v)		2033-2034	वर्ष 2025-26 में बाजार में रखी बैटरी की मात्रा का कम से कम 70% भाग	

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

(vi)		2034-2035	वर्ष 2026-27 में बाजार में रखी बैटरी की मात्रा का कम से कम 70% भाग	
(vii)		2035-2036	वर्ष 2027-28 में बाजार में रखी बैटरी की मात्रा का कम से कम 70% भाग	
(viii)		2036-2037	वर्ष 2028-29 में बाजार में रखी बैटरी की मात्रा का कम से कम 70% भाग	
(ix)		2037-2038	वर्ष 2029-30 में बाजार में रखी बैटरी की मात्रा का कम से कम 70% भाग	
(x)		2038-2039	वर्ष 2030-31 में बाजार में रखी बैटरी की मात्रा का कम से कम 70% भाग	
(xi)		2039-2040	वर्ष 2031-32 में बाजार में रखी बैटरी की मात्रा का कम से कम 80% भाग	
(xii)		2040-2041	वर्ष 2032-33 में बाजार में रखी बैटरी की मात्रा का कम से कम 70% भाग	
(xiii)		2041-2042	वर्ष 2033-34 में बाजार में रखी बैटरी की मात्रा का कम से कम 70% भाग	
(xiv)		2042-2043	वर्ष 2034-35 में बाजार में रखी बैटरी की मात्रा का कम से कम 70% भाग	
(viii)	2043-44 से 2056-57 तक	2043-2044 और उससे आगे	8वें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (2035-36) में और उससे आगे बाजार में रखी बैटरी की मात्रा का कम से कम 70% भाग	

भारत का राजपत्र : असाधारण

23

प्रपत्र 1 (क)

(नियम 4 देखें)

(पंजीकरण के अनुदान/नवीकरण के लिए उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन)

1.	उत्पादक का नाम	
2.	उत्पादक का पंजीकृत पता, वेबसाइट एड्रेस	
	एवं संपर्क ब्यौरा	
3.	अधिकृत व्यक्ति (यों) का/के नाम और ईमेल,	
	लैंडलाइन दूरभाष नंबर और मोबाइल नं. के	
	साथ पूरा पता	
4.	जीएसटी सं.	
5.	टिन सं.	
6.	बाजार में रखी बैटरी के ब्रांड नाम के साथ	प्रकार के अनुसार सूची
	उनके प्रकार	
		क. वहनीय बैटरी
		ख. मोटरयान बैटरी
		ग. ईवी बैटरी
		घ. औद्योगिक बैटरी

सामान्य निबंधन एवं शर्तें:

- i. पंजीकृत संस्था पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन करेगी।
- ii. अनुमोदित ईपीआर प्रपत्र में किसी भी परिवर्तन की सूचना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी जानी चाहिए।

स्थान : दिनांक :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रपत्र 1 (ख)

नियम 11 देखें

[केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उत्पादक का पंजीकरण प्रदान करने का प्रारूप]

संदर्भ: पंजीकरण के लिए आपकी आवेदन संख्या दिनांक

		पंजीकरण संख्या	
मैसर्सको एतद्वारा की अर्पा	शिष्ट बैटरी प्रबंधन नियम, 2022	? के प्रावधानों के अनुसार अप	। ।शिष्ट बैटरी वे
उत्पादक के रूप में पंजीकरण प्रदान किया [ः]	जाता है। पंजीकरण जारी करने र्क	ने तिथि सेवर्ष की अव	धि के लिए वैध
रहेगा। अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन नियमों, 202	22 के प्रावधान (प्रावधानों) का किस	सी भी तरह का उल्लंघन, पर्या	विरण (संरक्षण)
अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के दंडात	मक प्रावधान को आकर्षित करेगा।	•	
			_

(सदस्य सचिव)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दिनांक: स्थान:

प्रपत्र -1 (ग)

(नियम 4 देखें)

[निर्माता द्वारा ईपीआर योजना प्रस्तुतिकरण का प्रारूप]

1	उत्पादक का नाम	
2	उत्पादक का पंजीकृत पता, वेबसाइट एड्रेस एवं संपर्क ब्यौरा	
3	अधिकृत व्यक्ति (यों) का/के नाम और ईमेल, लैंडलाइन दूरभाष नंबर और मोबाइल नं. के साथ पूरा पता	
4	जीएसटी सं.	
5	टिन सं.	
6	बैटरी के शुष्क भार के साथ कुल भार के रूप में मात्रा के साथ ब्रांड नाम (नामों) सहित बाजार में रखी बैटरी का प्रकार	बैटरी के प्रकार के अनुसार शुष्क भार के साथ कुल भार में मात्रा
		क. वहनीय बैटरी ख. मोटरयान बैटरी ग. ईवी बैटरी घ. औद्योगिक बैटरी

स्थान : दिनांक :

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रपत्र – 2 (क) (नियम 8 और 9 देखें)

[एकबारगी पंजीकरण की स्वीकृति के लिए पुनर्चक्रणकर्ता/नवीकरणकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आवेदन-पत्र]

पुनर्चक्रणकर्ता का नाम	
पंजीकृत पता एवं वेबसाइट एड्रेस	
दूरभाष नं. (लैंडलाइन और मोबाइल)	
ई मेल	
अधिकृत व्यक्ति (यों) का नाम	
अधिकृत व्यक्ति (यों) का ईमेल	
अधिकृत व्यक्ति (यों) का मोबाइल नं.	
जीएसटी सं.	
सहमति वैधता	क. वायु अधिनियम 1981 के अधीन तक वैध -
	ख. जल अधिनियम 1974 के अधीन तक वैध -
परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन)	- तक वैध
नियमावली, 2016 के नियम 6 के अधीन प्राधिकरण	

[भाग II—खण्ड 3(ii)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	25
4 4 11 4 5 5 11 1	मारत का राजवन . जत्तावारण	4.0

की वैधता	
जिला उद्योग केन्द्र के साथ पंजीकरण के प्रमाणीकरण की वैधता	- तक वैध
(एमटीए) में पुनर्चक्रण इकाई(यों) की क्षमता	क. संस्थापित ख. संचालन (पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा)

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान : दिनांक :

प्रपत्र 2 (ख)

(नियम 12 देखें)

[राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पुनर्चक्रणकर्ता/नवीकरणकर्ता को पंजीकरण प्रदान करने के लिए प्रपत्र]

		\sim	0	_	
सदभ:	पंजीकरण	क लिए	आपका	आवदन	सख्या

दिनांक
पंजीकरण संख्या
मैसर्सको एतद्वारा अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार अपशिष्ट बैटरी के पुनचर्क्रण और/या नवीनीकरण के लिए पंजीकरण प्रदान किया दिया जाता है। पंजीकरण जारी करने की तिथि सेवर्षों की अविध के लिए वैध होगा।
अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन नियमों, 2022 के प्रावधान (प्रावधानों) का किसी भी तरह का उल्लंघन, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के दंडात्मक प्रावधान को आकर्षित करेगा।
(सदस्य सचिव)
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(हस्ताक्षर एवं पदनाम)

स्थान:

दिनांक:

प्रपत्र 3 (नियम 4 देखें)

[अगले वित्तीय वर्ष के जून के 30वें दिन तक उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक विवरणी]

1.	उत्पादक का नाम	
2.	उत्पादक का पंजीकृत पता, वेबसाइट	
	एड्रेस और संपर्क विवरण	
3.	अधिकृत व्यक्ति (यों) का/(के) नाम और	
	ईमेल, लैंडलाइन दूरभाष नं. और	
	मोबाइल नं. के साथ पूरा पता	
4.	वित्तीय वर्ष जिसमें विवरणी दाखिल	क्रम सं. बैटरी का बेची गई बैटरी की मात्रा

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

	की जाती है, में बेची गई बैटरी की	प्रकार नं. कुल भार बैटरी	सामग्री				
	संख्या का ब्यौरा	का शु	ष्क भार				
		1					
		2					
		3					
		4					
5.	बैटरी के शुष्क भार के साथ कुल भार						
	के रूप में मात्रा के साथ ब्रांड नाम						
	(नामों) सहित बाजार में रखी बैटरी का	क वहनीय बैटरी					
	प्रकार	ख मोटरयान बैटरी					
		ग ईवी बैटरी					
		घ औद्योगिक बैटरी					
6.	ईपीआर दायित्वों का ब्यौरा और	1: 2 11-11 \ 311 1\ 1					
	संगृहीत तथा नवीनीकृत/पुनर्चक्रित						
	बैटरियो जिनकी विवरणी दाखिल की	3. पुन:प्राप्त बैटरी सामग्री का वजन					
	जा रही है	4. निपटान का ब्यौरा					
7	Sillana mananai ar alba		<u> </u>				
7.	ईपीआर प्रमाणपत्रों का ब्यौरा	पुनर्चक्रणकर्ता/नवीनीकरणकर्ता-वार प्रमाण पत्रों की संख्या					

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान : दिनांक :

प्रपत्र 4 (नियम 8 और 9 देखें)

[तिमाही की समाप्ति के बाद आगामी माह के अंत तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पुनर्चक्रणकर्ता/नवीनीकरणकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली तिमाही रिपोर्ट]

1	पुनर्चक्रणकर्ता का नाम			
2	पंजीकृत पता			
3	ईमेल आईडी			
4	दूरभाष नं.			
5	अधिकृत व्यक्ति (यों) का/के नाम			
6	जीएसटी संख्या			
7	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकरण संख्या			
8	(एमटीए) में पुनर्चक्रण इकाई (यों की क्षमता	क स्थापित ख संचालित (पिछले तीन वर्षों का	ब्यौरा)
9	उत्पादक (उत्पादकों) सहित विभिन्न निकायों से संग्रहीत अपशिष्ट बैटरी का ब्यौरा	क्रम सं. 1	बैटरी के प्रकार वहनीय	संख्या एवं भार में मात्रा के साथ पुनर्चक्रण/नवीनीकरण के लिए जिन संस्थाओं में बैटरी संग्रहीत की गई उनका विवरण

		2		मोटरयान					
		3		विद्युत यान					
		4		औद्योगिक					
10	पुनर्चक्रित/नवीनीकृत अपशिष्ट								<u>"</u>
	बैटरी का ब्यौरा	क्रम सं	बैट	री के प्रकार	पुनर्च	क्रित	/नवीनीकृ	त बैटरी	की मात्रा
					सं.		कुल भार	कुल शुष्क	पुन:प्राप्त बैटरी
							,,,,	भार	सामग्री का
									कुल भार
		1	वह	ह्नीय					
		2	मो	टरयान					
		3	वि	द्युत यान					
		4	औ	द्योगिक					
							l .		
4.4									
11	पुनर्चक्रण /नवीनीकरण प्रक्रिया के दौरान उत्पादित और निपटान किए								
	गए अपशिष्ट का ब्यौरा								
	•								
12	ईपीआर प्रमाणपत्र ब्यौरा	उत्पादक-	वार	जारी किए गए	र प्रमाण	ापत्रो	ां की संख्य	π	

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान : दिनांक :

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2022

S.O. 3984(E).—Whereas the Battery Waste Management Rules, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), *vide* S.O. 770(E), dated the 20th February, 2020 inviting objections and suggestions from all persons before the expiry of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft provisions were made available to the public;

And, whereas all the objections and suggestions received have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (vii) of sub-section (2) of section 3, sub-section (1), clause (c) and clause (d) of sub-section (2) of section 6, section 8, clause (b) of sub-section 2 of section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and in supersession of the Batteries (Management and Handling) Rules, 2001, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Battery Waste Management Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. **Application.** (1) These rules shall apply to, –(i) Producer, dealer, consumer, entities involved in collection, segregation, transportation, re-furbishment and recycling of Waste Battery;
- (ii) all types of batteries regardless of chemistry, shape, volume, weight, material composition and use.
- (2) These rules do not apply to Battery used in, (i) equipment connected with the protection of the essential security interests including arms, ammunitions, war material and those intended specifically for military purposes;
- (ii) equipment designed to be sent into space.
- 3. **Definitions.** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –
- (a) 'Act' means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
- (b) 'Automotive battery' means any Battery used only for automotive starter, lighting or ignition power;
- (c) 'Battery' means new or refurbished cell and/or Battery and/or their component, including accumulator, which is any source of electrical energy generated by direct conversion of chemical energy and includes disposable primary and/or secondary battery;
- (d) 'Battery pack' means any set or module of cells and/or Battery that are connected or encapsulated within an outer casing so as to form a complete unit that the end-user is not intended to split up or open;
- (e) 'Battery materials' means materials contained in the Battery include metals such as nickel, cobalt, lead, lithium, and other materials such as plastics, paper, etc.;
- (f) 'Cell' means basic functional unit consisting of an assembly of electrodes, electrolyte, container, terminals and separators that is source of energy generated by direct conversion of chemical energy and incudes primary and/or secondary cell;
- (g) **'Central Pollution Control Board'** means the Central Pollution Control Board as constituted under sub-section (1) of section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);
- (h) 'consumer' means end user of Battery;
- (i) 'disposal' means any operation which does not lead to reuse, recovery, refurbishing or recycling and inter-alia include physico-chemical and/or biological treatment and/or deposition in secured landfill;
- (j) 'Electric vehicle battery' means any Battery specifically designed to provide traction to hybrid and electric vehicles for road transport;
- (k) 'End of Life battery' means Battery which have been used, completed its intended use and is not meant for refurbishment;
- (1) **'Environmentally sound management'** means management of Waste Battery in a manner to protect human health and environment against any adverse effects, which may result from any substance contained in Waste Battery. These may include refurbishment, and/or recycling;
- (m) **'Extended Producer Responsibility'** means responsibility of any Producer of Battery for Environmentally sound management of Waste Battery;
- (n) **'Extended Producer Responsibility Registration'** means a registration by Central Pollution Control Board of a Producer for Extended Producer Responsibility;
- (o) 'Facility' means any location wherein the process incidental to the collection, storage, segregation, refurbishing, recycling disposal of Waste Battery is carried out;
- (p) 'Form' means Forms appended to these rules;
- (q) 'Hazardous waste' means hazardous waste as defined under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.
- (r) 'Industrial battery' means any Battery designed for industrial uses, excluding Portable battery, Electric vehicle battery and Automotive battery. These may include sealed Battery (excluding potable battery); unsealed Battery (excluding automotive Battery) and energy storage system Battery;
- (s) 'Manufacturer' means a person or an entity or a company as defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or a factory as in the Factories Act, 1948 (63 of 1948) which has facilities for manufacturing of Battery and/or its components;
- (t) 'Portable battery' means Battery that is sealed, less than five kilograms, not made for industrial purposes, electric vehicle or to be used as an Automotive Battery;
- (u) 'Producer' means an entity who engages in:

- (i) manufacture and sale of Battery including refurbished Battery, including in equipment, under its own brand; or
- (ii) sale of Battery including refurbished Battery, including in equipment, under its own brand produced by other manufacturers or suppliers; or
- (iii) import of Battery as well as equipment containing Battery;
- (v) 'Public Waste Management Authorities' for the purpose of these rules means Village Panchayat, Municipal Corporation, Municipality and agencies engaged on their behalf.
- (w) 'Recycler' means entity engaged in recycling of Waste Battery;
- (x) 'Refurbishment' means repairing, re-conditioning, re-purposing of used Battery for its second life;
- (y) 'Refurbisher' means entity engaged in refurbishment;
- (z) 'Schedule' means Schedule appended to these rules;
- (za) **'State Pollution Control Board'** means the State Pollution Control Board constituted under Section 4 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and includes in relation to Union territory, the Pollution Control Committee;
- (zb) 'Storage' means storage of Waste Battery;
- (zc) 'Treatment' means an activity carried out on Waste Battery for recycling;
- (zd) 'Used battery' means Battery and/or its components which have been used and have residual life and suitable for refurbishment;
- (ze) 'Waste Battery' includes:
 - Used and/or End of Life Battery and/or its components or spares or parts or consumables which may or may not be hazardous in nature;
 - Pre-consumer Off-Spec Battery and its components or spares or parts or consumables;
 - Battery whose date for appropriate use has expired;
 - Battery which have been discarded by the user.
- (2) Words and expressions not defined in these rules will have the same meaning as defined in the Environment (Protection) Act, 1986.
- **4. Functions of Producer.** (1) Producer shall have the obligation of Extended Producer Responsibility for the Battery that they introduce in the market to ensure the attainment of the recycling or refurbishing obligations.
- (2) Producer shall meet the collection and recycling and/or refurbishment targets as mentioned in Schedule II for Battery made available in the market.
- (3) Waste Battery collected by the Producer shall be sent for recycling or refurbishing and shall not be sent for landfilling or incineration.
- (4) The person or an entity involved in manufacturing of Battery shall have to register through the online centralised portal as Producer in Form 1(A). The certificate of registration shall be issued in Form 1(B).
- (5) Producer shall file for renewal of registration in Form 1(A) before sixty days of its expiry.
- (6) Producer shall inform the Central Pollution Control Board of any changes to the information contained in the Extended Producer Responsibility Registration and of any permanent cessation as regards to the making available on the market of the Battery referred to in the Extended Producer Responsibility Registration.
- (7) Producer shall provide Extended Producer Responsibility plan in the Form 1(C) to Central Pollution Control Board by 30th June of every year for the Battery manufactured in the preceding financial year. It shall contain information on the quantity, weight of Battery along with the dry weight of Battery materials through the centralised portal.
- (8) Producer shall submit an Extended Producer Responsibility Plan in Form 1(C) to Central Pollution Control Board for the Battery manufactured in FY 2022-23 within three months of the publication of these rules.
- (9) In order to develop a separate waste stream for collection of Waste Battery for fulfilling Extended Producer Responsibility obligations, the Producer, may operate schemes such as deposit refund system or buy back or any other model.

- (10) In order to meet the obligations of Extended Producer Responsibility, the Producer may engage itself or authorise any other entity for collection, recycling or refurbishment of Waste Battery. However, the obligations of meeting the Extended Producer Responsibility targets shall remain with the Producer.
- (11) Producer shall file annual returns in Form 3 regarding the Waste Battery collected and recycled or refurbished towards fulfilling obligations under Extended Producer Responsibility with the Central Pollution Control Board and concerned State Pollution Control Board in Form 3 by 30th June of the next financial year. The details of the registered recyclers from whom the Extended Producer Responsibility certificates have been procured shall also be provided.
- (12) It shall be the responsibility of a Producer to,
 - (i) adhere to prohibitions and labelling requirements as prescribed in Schedule I;
 - (ii) ensure safe handling of Battery or Waste Battery such that no damage to human health and environment occurs.
- (13) Producer shall bring to the notice of the Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board of violations of these rules by any entity involved in handling and management of Waste Battery.
- (14) Producer shall have the obligation with respect to the minimum use of domestically recycled materials in new Battery as per the Table below. The assessment of the minimum use of the recycled materials in Battery shall be in respect of the total dry weight of Battery. In case of imported Battery, the Producer shall have to meet the obligation of the minimum use by way of getting such quantity of recycled materials utilised by other businesses or by way of exporting such quantity of recycled materials.

TABLE

S.No.	Tours of Double in	Minimum use of the recycled materials out of total dry weight of a Battery (in percentage)					
5.110.	Type of Battery	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31 and onwards		
1.	Portable	5	10	15	20		
2.	Electric Vehicle	5	10	15	20		
		2024-25	2025-26	2026-27	2027-28 and onwards		
3.	Automotive	35	35	40	40		
4.	Industrial	35	35	40	40		

- (15) Producer shall not deal with any other entity not having registration mandated under these rules.
- **5. Functions of Consumer.** -(1) It will be the responsibility of consumer, -
 - to discard Waste Battery separately from other waste streams especially from mixed waste, domestic waste streams;
 - (ii) to ensure that Waste Battery are disposed off in an environment friendly manner by giving it to an entity engaged in collection or refurbishment or recycling;
- **6. Functions of Public Waste Management Authorities.** (1) Public Waste Management Authorities will hand over collected Waste Battery to the producers or agencies acting on their behalf or the entity engaged in refurbishment or recycling with a view to refurbishment or recycling of those Waste Battery or carry out their recycling or refurbishment themselves.
- **7. Functions of entity involved in collection, segregation and treatment.** (1) It shall be the responsibility of entities involved in collection, segregation and treatment to hand over Waste Battery to registered refurbisher or recycler;
- (2) It shall be the responsibility of the entity to,
 - (i) ensure that a facility is in accordance with the standards or guidelines prescribed by the Central Pollution Control Board;
 - (ii) carry out any activity in accordance with the guidelines prescribed by Central Pollution Control Board.
- **8. Functions of Refurbisher.** (1) All refurbishers shall register with State Pollution Control Board on the centralised portal. The certificate of registration shall be issued using the portal in Form 2(B).
- (2) It shall be the responsibility of the Refurbisher to, -

- i. make an application in Form 2(A) to the State Pollution Control Board for grant of one-time registration;
- ii. ensure that it carries out any activity in accordance with the guidelines prescribed by Central Pollution Control Board;
- iii. ensure that hazardous waste generated from any activity of the entity is managed as per the provisions under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016;
- iv. ensure that other waste generated during handling and refurbishing activities be managed as per the extant regulations such as Solid Waste Management Rules, 2016 and Plastic Waste Management Rules, 2016;
- v. ensure that refurbishment processes and facilities comply with the standards or guidelines prescribed by the Central Pollution Control Board;
- vi. ensure that the Waste Battery is removed from collected appliance if Battery is incorporated in an equipment.
- (3) Refurbishers shall furnish quarterly returns in Form 4 regarding the information on quantity of used Battery collected or received from various producers or entities, refurbished quantities, quantity of hazardous and/or other waste including solid waste or plastic waste generated after refurbishment and disposal of such quantity as per extant rules and the quarterly return shall be filed by the end of the month succeeding the end of the quarter.
- (4) The total quantity of Waste Battery processed by entities involved in refurbishment of Waste Battery, on quarterly basis, will be made available on the centralised portal developed by Central Pollution Control Board and on the websites of the entities.
- (5) Refurbisher shall not deal with any other entity not having registration mandated under these rules.
- **9. Functions of Recycler.** (1) All recyclers shall register with the State Pollution Control Board through the online portal. The certificate of registration shall be issued in Form 2(B).
- (2) It shall be the responsibility of the recycler to,
 - (i) make an application in Form 2(A) to the State Pollution Control Board for grant of one-time registration;
 - (ii) ensure that it carries out any activity in accordance with the guidelines prescribed by Central Pollution Control Board;
 - (iii) ensure that hazardous waste generated from any activity of the entity is managed as per the provisions under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016;
 - (iv) ensure that other waste generated during handling and recycling activities be managed as per the extant regulations such as Solid Waste Management Rules, 2016, Plastic Waste Management Rules, 2016 and Ewaste (Management) Rules, 2016;
 - (v) ensure that recycling processes and facilities for Waste Battery comply with the standards or guidelines prescribed by Central Pollution Control Board;
 - (vi) ensure that the Waste Battery is removed from collected appliance if Battery is incorporated in an equipment.
- (3) Recyclers shall furnish the quarterly returns in Form 4 regarding the information on quantity of Waste Battery collected or received from various producers or entity, recycled quantities, compliance of material-wise recovery percentage as per recovery targets provided under sub-rule 4 of rule 10, quantity of hazardous and/or other waste including solid waste or plastic waste generated after recycling and of such quantity as per as per extant rules and the quarterly return shall be filed by the end of the month succeeding the end of the quarter.
- (4) The total quantity of Waste Battery processed by entity involved in recycling of Waste Battery, on quarterly basis, will be made available on the portal developed by Central Pollution Control Board and on the websites of the entities.
- (5) Refurbisher shall not deal with any other entity not having registration mandated under these rules.
- 10. Provision of Certificate for Waste Battery. (1) Entities involved in refurbishment and/ or recycling of Waste Battery, registered under these rules shall provide certificate for Waste Battery processing.
- (2) In no case, the amount of Waste Battery recycled or refurbished by the entity shall be more than installed capacity of the entity. These certificates will be for Waste Battery category-wise and shall include Goods and Services Tax data of the entity.
- (3) The certificate for Waste Battery provided by registered entities shall be provided for the type and quantity of Battery refurbished or recycled and can be transacted for meeting Extended Producer Responsibility obligations. Central Pollution Control Board will provide for the issuance of such certificates on the online portal.

(4) Recovery of minimum percentage target is the percentage of total weight of all recovered materials out of dry weight of the Battery and recyclers shall be mandated for minimum recovery of Battery materials as mentioned in the Table below.

TABLE

S.No.	Type of Battery	Recovery target for the year in percentage				
		2024-25	2025-26	2026-27 and onwards		
1.	Portable	70	80	90		
2.	Automotive	55	60	60		
3.	Industrial	55	60	60		
4.	Electric Vehicle	70	80	90		

Note: Maximum recovery target is subject to the percentage of non-recoverable hazardous material content in the Battery. It would mean the reduction of recovery target by the same percentage of the hazardous material present in the Waste Battery.

- (5) The recovery target may be reviewed by the Committee constituted under rule 15 once every four years to revisit the minimum levels of recovered Battery materials in light of technical and scientific progress and emerging new technologies in waste management, and the Committee would recommend to Ministry of Environment, Forest and Climate Change in this regard.
- (6) Extended Producer Responsibility certificates will be generated by Central Pollution Control Board through the centralised online portal based on the recycled or refurbished quantities and assigned to recyclers or refurbishers. The recyclers or refurbishers can sell the assigned Extended Producer Responsibility certificates to Producer in exchange of Waste Battery.
- (7) Extended Producer Responsibility certificates for recyclers and refurbishers shall be generated based on weight of Battery processed, percentage fulfilment of material recovery targets for specified year and geographical source of Battery such as domestic or imported.
- (8) The following formula shall be used to estimate the Extended Producer Responsibility certificates for recyclers:

Extended Producer Responsibility certificates (kg) = (Actual recovery of Battery materials in percentage / Recovery target for specified year of the Battery type in percentage) x quantity of Battery processed (kg) x (1-A).

Note: A=0 for Waste Battery generated domestically and A=0.2 for Waste Battery sourced through imports allowed under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

- (9) Surplus Extended Producer Responsibility certificates in a category can only be used for off-setting, carry forward and sale for the same category of Battery.
 - (i) a surplus Extended Producer Responsibility certificate under recycling can be used for recycling. A surplus under refurbishing cannot be used for recycling.
- (10) A Producer can meet its Extended Producer Responsibility obligation under a category by purchasing surplus Extended Producer Responsibility certificates from other producers of the same category of Battery.
- (11) A Producer can purchase Extended Producer Responsibility certificates limited to its Extended Producer Responsibility liability of current year plus any leftover liability of preceding years plus ten percent of the current year liability.
- (12) Extended Producer Responsibility certificates purchased by the Producer will be automatically adjusted against their liability.
 - (i) priority in adjustment will be given to earlier liability;
 - (ii) Extended Producer Responsibility certificates used by Producer to meet Extended Producer Responsibility obligations shall not be exchanged again.

- (13) All such transactions shall be recorded and submitted by the refurbishers or recyclers on the online portal at the time of filing quarterly returns.
- (14) Extended Producer Responsibility certificates generated by refurbisher or recycler shall be valid for a period of seven years for meeting the obligations of Producer.
- **11. Functions of Central Pollution Control Board.** (1) The Central Pollution Control Board shall register Producer through online portal in Form 1(B).
- (2) The Central Pollution Control Board may determine the fee for processing of applications for registration as well as returns.
- (3) The registration shall be done within two weeks from the submission of a completed application.
- (4) The registration of Producer shall be valid for a period of five years.
- (5) Central Pollution Control Board shall share Extended Producer Responsibility plan of the Producer and registration details of Producer with State Pollution Control Board.
- (6) Central Pollution Control Board shall renew the registration upon submission of Form 1(A).
- (7) Central Pollution Control Board shall suspend and/or cancel the registration, and/or impose Environmental Compensation, in case of non-compliance of Extended Producer Responsibility obligations as per Schedule II after giving reasonable opportunity of being heard.
- (8) Central Pollution Control Board shall ensure compliance of these rules by Producer including those who supply Battery by means of distance contracts.
- (9) Central Pollution Control Board shall ensure that registration or renewal is done unless otherwise suspended and/or cancelled under these rules and deemed to be issued if not objected within two weeks.
- (10) Central Pollution Control Board or through a designated agency shall verify compliance by Producer through inspection and periodic audit.
 - (i) Central Pollution Control Board, as required, can also verify compliance by entity involved in refurbishment or recycling of Waste Battery through inspection and periodic audit.
 - (ii) the actions against violations and for non-fulfilment of obligations under these rules including Extended Producer Responsibility obligations shall be as per rule 13.
 - (iii) in case of entity operating with a State or Union Territory, Central Pollution Control Board may, if required, direct State Pollution Control Board to take action.
- (11) Central Pollution Control Board shall carry out audit of data, including using information from Goods and Services Tax Network portal, by itself or a designated agency, of the registered entity under these rules.
- (12) Central Pollution Control Board shall suspend and/or cancel the registration of Producer, and/or impose Environmental Compensation in case of violation of these rules by the registered entity.
- (13) Appeal made against the orders of Central Pollution Control Board regarding suspension or cancellation of registration of Producer lies with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and will be disposed off within forty-five days after the submission of the appeal.
- (14) The Joint Secretary or the officer equivalent in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall be designated as an Appellate Authority.
 - (i) the appeal shall be made by the appellant to the designated Appellate Authority in writing and accompanied with a copy of the order appealed against within thirty days from the date of passing of the order.
- (15) Central Pollution Control Board shall dispose off an appeal made by the recycler or refurbisher against the order of State Pollution Control Board regarding suspension and /or cancellation of registration of recyclers or refurbishers within thirty days of the receipt of appeal.
- (16) The Member Secretary in the Central Pollution Control Board would be designated as an Appellate Authority.
 - (i) the appeal shall be made by the appellant to the designated Appellate Authority in writing and accompanied with a copy of the order appealed against within thirty days from the date of passing of the order.
- (17) Central Pollution Control Board shall issue guidelines for environmentally sound procedures of collection, storage, transportation, refurbishment, and recycling of Waste Battery.
- (18) Central Pollution Control Board shall compile and publish the data received every year from the State Pollution Control Boards.

34

- (19) Central Pollution Control Board shall develop mechanism for exchange of Extended Producer Responsibility certificates on the online portal.
- (20) Central Pollution Control Board shall publish the list of Producers who have failed to meet Extended Producer Responsibility targets and obligations on an annual basis.
- (21) Central Pollution Control Board shall share the Extended Producer Responsibility Plans and annual returns of Producers.
- (22) Central Pollution Control Board will establish a mechanism to ensure a regular dialogue between stakeholders in the fulfilment of obligations under these rules.
- (23) Central Pollution Control Board shall constitute an implementation Committee as per rule 15 for the effective implementation of these rules and make recommendations for making it robust.
 - (i) the Committee shall meet once in six months to submit its report and recommendations to Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- (24) Central Pollution Control Board shall carry out review of technologies related to Waste Battery management for techno-economic viability and feasibility specifically with respect to sub-rule (4) of rule 10 on recovery of Battery materials.
- (25) Central Pollution Control Board shall issue guidelines about technologies and standards with regard to refurbishment and recycling of Waste Battery.
- (26) Central Pollution Control Board will recommend to Ministry of Environment, Forest and Climate Change with regard to the Battery material recovery from recycling based on technological and commercial viabilities.
- **12. Functions of State Pollution Control Board.** (1) The State Pollution Control Board shall register entity involved in refurbishing and recycling through online portal in Form 2(B).
 - (i) provision for registration shall be made on the Extended Producer Responsibility portal and the State Pollution Control Board or through a designated agency shall verify compliance of entity involved in refurbishing and recycling of Waste Battery through inspection and periodic audit, as deemed appropriate, in their jurisdiction.
- (2) In case the information provided by the entity involved in refurbishment or recycling of Waste Battery is found to be false, the State Pollution Control Board shall suspend and/or cancel the registration up to a period of five years, after giving reasonable opportunity of being heard including actions under rule 13.
- (3) The State Pollution Control Board shall bring out a list of entities not fulfilled their Extended Producer Responsibility obligations on annual basis and publish the same.
 - (i) the State Pollution Control Board shall compile and forward the quarterly reports submitted by entities involved in refurbishing or recycling of Waste Battery to Central Pollution Control Board and publish online.
- (4) State Pollution Control Board will ensure a regular dialogue between relevant stakeholders involved in the fulfilment of obligations under these rules.
- (5) State Pollution Control Board to submit annual report to Central Pollution Control Board by 30th June every year, regarding effective implementation of these rules.
- **13. Action on violations and imposition of Environmental Compensation.** (1) Environmental Compensation shall also be levied for the following activities based on polluter pays principle,
 - i. entities carrying out activities without registration as mandated under these rules;
 - ii. providing false information / wilful concealment of material facts by the entities registered under these rules;
 - iii. submission of forged/manipulated documents by the entities registered under these rules;
 - iv. entities engaged in collection, segregation, and treatment in respect to not following sound handling of Waste Battery.
- (2) These activities, may also be dealt with under the provisions of section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986, in case of evasion or violation either by entity itself or help abet any obligated entity evade or violate obligations, after giving an opportunity of being heard.

- (3) Committee for Implementation constituted by Central Pollution Control Board under rule 15 shall prepare and recommend guidelines for imposition and collection of Environmental Compensation from producers and entities involved in refurbishment and recycling of Waste Battery, in case of non-fulfilment of obligations under these rules.
 - (i) the recommended guidelines shall be submitted to Ministry of Environment, Forest and Climate Change for bringing into effect of such Environmental Compensation.
- (4) Environmental Compensation shall be levied by Central Pollution Control Board on Producer operating with respect to non-fulfilment of their Extended Producer Responsibility targets, responsibilities and obligations set out in these rules.
- (5) Environmental Compensation shall be levied by respective State Pollution Control Board on entities involved in refurbishment or recycling of Waste Battery as well as entities involved in collection, segregation and treatment, operating in their jurisdiction with respect to non-fulfillment of their responsibilities and obligations set out under these rules. In case, the State Pollution Control Board does not take action in sixty days, the Central Pollution Control Board shall issue directions to the State Pollution Control Board.
- (6) Payment of Environmental Compensation shall not absolve Producer of Extended Producer Responsibility obligation set out under these rules.
 - (i) the unfulfilled Extended Producer Responsibility obligation for a particular year will be carried forward to the next year for a period of three years.
 - (ii) in case the shortfall of Extended Producer Responsibility obligation is addressed within subsequent years within three years, the Environmental Compensation levied shall be returned to the Producer as given below,
 - Within one year of levying of Environmental Compensation: 75 percent return;
 - Within two years: 60 percent return;
 - Within three years: 40 percent return.
- (7) After completion of three years after Environmental Compensation getting due, the entire Environmental Compensation amount shall be forfeited, this arrangement shall allow for collection and refurbishment or recycling of Waste Battery by the concerned entities in later years as well.
- (8) The funds collected under Environmental Compensation shall be kept in a separate escrow account by Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board.
 - (i) the funds collected shall be utilised in collection and refurbishing or recycling of uncollected and non-recycled or non-refurbished Waste Battery against which the Environmental Compensation is imposed.
 - (ii) modalities for utilisation of the funds for Waste Battery management would be recommended by the Committee for Implementation for the approval of Central Government.
- (9) Non-fulfilment of obligations set out under these guidelines will attract penal actions under the provisions of section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- **14. Centralised Online Portal.** (1) Central Pollution Control Board shall establish an online system for the registration and filing returns by producers, recyclers, and refurbishers of Waste Battery within six months of commencement of these rules.
- (2) The system shall ensure a mechanism wherein the material balance of Waste Battery as per Extended Producer Responsibility obligations of Producers is reflected and it shall also reflect the details regarding the audit of the Producers and entities involved in refurbishing and recycling of Waste Battery.
- (3) The State Pollution Control Board shall also use the web portal of Central Pollution Control Board used for registration of Producers, for registering entities involved in refurbishing and recycling of Waste Battery.
- (4) The web portal would act as the single point data repository with respect to orders and guidelines related to implementation of these rules.
- (5) Producer may facilitate the development of online portal.
- 15. Committee for Implementation. (1) A Committee shall be constituted by the Central Government under chairpersonship of Chairman, Central Pollution Control Board to recommend measures to Ministry of Environment, Forest and Climate Change for effective implementation of these rules.
- (2) The Committee shall monitor the implementation of these rules and also take such measures as required for removal of difficulties.

- (3) The Committee shall also be tasked with the guiding and supervision of the development and operation of the online portal.
- (4) Any modifications in the forms attached to these rules may be undertaken by the Committee with the approval of the Central Government.
- (5) The Committee shall comprise of representatives from Ministry of Electronics and Information Technology, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, Ministry of New and Renewable Energy, Department of Chemicals and Petrochemicals, Organisations such as Central Pollution Control Board, State Pollution Control Boards, National Environmental Engineering Research Institute and stakeholders such as associations representing producers, recyclers and refurbishers, and any other stakeholder as invited by the chair of the Committee.

[F. No. 12/36/2019-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.


Schedule I Prohibitions and Labelling Requirements

1. Prohibitions on heavy metal content in the Battery

- (i) Battery that contains up to 0.0005% (5 ppm) of mercury by weight may only be placed till 2025;
- (ii) Battery that contains up to 0.002% (2000 ppm) of cadmium by weight may only be placed;
- (iii) paragraph (1)(i) shall not apply to button zinc silver oxide Battery with a mercury content < 2% and button zinc air Battery with a mercury content < 2% by weight.
- (iv) prohibition in paragraph (1)(ii) shall not apply to a portable Battery intended for use in,
 - A. emergency and alarm systems, including emergency lighting;
 - B. medical equipment

2. Labelling requirements

- (i) producers shall ensure that all Battery or Battery packs are appropriately marked with requisite labelling requirements as per standards prescribed by Bureau of Indian Standards.
- (ii) all requisite labels and symbols shall be printed visibly, legibly and indelibly.
- (iii) no person shall place on the market any Battery or Battery pack unless it is marked with the "crossed out wheeled bin symbol" as shown in Figure I covering at least 3% of the area of the largest side of the Battery or Battery pack, up to a maximum size of 5 cm x 5 cm). In the case of cylindrical cells, the crossed out wheeled bin symbol shall cover at least 1.5% of the surface area of the Battery or Battery pack, up to a maximum size of 5 cm x 5 cm.
- (iV) where the size of the Battery or Battery pack is such that the crossed out wheeled bin symbol would be smaller than 0.5 cm x 0.5 cm, the Battery or Battery pack need not be marked but a crossed out wheeled bin symbol measuring at least 1 cm x 1 cm shall be printed on the packaging.
- (V) no person shall place on the market a Battery or a button cell containing mercury, cadmium or lead unless it is marked with the respective chemical symbol "Hg"; "Cd" or "Pb". The symbol of the heavy metal shall,
 - A. be printed beneath the symbol shown in Figure I; and
 - B. cover an area of at least one-quarter the size of the crossed out wheeled bin symbol as indicated below:



SCHEDULE II

Targets for Extended Producer Responsibility. - (i) In case of a new Producer introducing Battery in the market in the subsequent years after the publication of these rules, the Extended Producer Responsibility targets shall be applicable for different types of Battery, based on the average life of the Battery mentioned in the tables below for the respective types of Battery.

- (ii) The Extended Producer Responsibility target shall include the collection targets mentioned in the tables below and 100% recycling and/or refurbishment target of Extended Producer Responsibility collection target of the respective year.
- (iii) The recycling of Waste Battery means recycling of Battery materials such as lead, nickel, lithium, nickel, cobalt, plastics, rubber, glass, etc.
- (iv) Extended Producer Responsibility target for the Producer shall be specific to the kind of Battery (viz. Lead acid, Li-Ion, Nickel Cadmium, Zinc based Battery, etc.) within each type of Battery- portable, automotive, industrial and electric vehicle Battery.
- (v) Producer will meet their Extended Producer Responsibility obligation through the Extended Producer Responsibility certificate made available by recycler or refurbisher. In case of non-availability of Extended Producer Responsibility certificates with recyclers or refurbishes, the Producer shall have the responsibility of collection as well.
- (vi) For portable Battery used in consumer electronics which are rechargeable:

No.	Compliance cycle	Year	Mandatory Waste Battery collection target and 100% of refurbishment or recycling of the collection target (Weight)	Mandatory Waste Battery collection target, and 100% refurbishment and/or recycling target for every ten year cycle (Weight)
(i)	2022-23 to 2031- 32	2022-2023	Minimum 50% of the quantity of Battery placed in the market in 2017-18.	Collection of 100% Waste Battery and of 100% of refurbishment or recycling shall be mandatory by end of ten year compliance cycle (end of
(ii)		2023-2024	Minimum 60% of the quantity of Battery placed in the market in 2018-19.	10th year) against the Battery placed in the market during ten year compliance cycle.
(iii)		2024-2025	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2019-2020.	However, there may be a carry forward of up to 60% of the average quantity of Battery placed in the market per year during the ten year cycle to the next compliance cycle.
(iv)		2025-2026	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2020-21.	
(v)		2026-2027	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2021-22.	
(vi)		2027-2028	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2022-23.	
(vii)		2028-2029	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2023-24.	
(viii)		2029-2030	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2024-25.	
(ix)		2030-2031	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2025-26.	
(x)		2031-2032	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2026-27.	

(xi)	2032-33 to 2041- 42, and onwards	2032-33 and onwards	Battery placed in the market in	Collection of 100% Waste Battery and of 100% of refurbishment or recycling shall be mandatory by end of ten year compliance cycle (end of 10 th year) against the Battery placed in the market during ten year compliance cycle. However, there may be a carry forward of up to 60% of the average quantity of Battery placed in the market per year during the ten year cycle to the next compliance cycle.
------	-------------------------------------	---------------------	---------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(vii) For portable Battery except those used in consumer electronics which are rechargeable:

No.	Compliance cycle	Year	Mandatory Waste Battery collection target and 100% of refurbishment or recycling of the collection target (Weight)	Mandatory Waste Battery collection target, and 100% refurbishment and/or recycling target for every ten year cycle (Weight)
(i)	2025-26 till 2034-35	2025-2026	Minimum 50% of the quantity of Battery placed in the market in 2022-23.	Collection of 100% Waste Battery and of 100% of refurbishment or recycling shall be mandatory by end of ten year compliance cycle (end of
(ii)		2026-2027	Minimum 60% of the quantity of Battery placed in the market in 2023-24.	10th year) against the Battery placed in the market during ten year compliance cycle. However, there may be a carry forward of up to 60% of the average.
(iii)		2027-2028	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2024-25.	forward of up to 60% of the average quantity of Battery placed in the market per year during the ten year cycle to the next compliance cycle.
(iv)		2028-2029	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2025-26.	
(v)		2029-2030	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2026-27.	
(vi)		2030-2031	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2027-28.	
(vii)		2031-2032	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2028-29.	

40 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

(viii)		2032-2033	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2029-30.	
(ix)		2033-2034	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2030-31.	
(x)		2034-2035	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2031-32.	
(xi)	2035-36 till 2044-45, and onwards	2035-2036 and onwards	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 3rd preceding financial year (i.e. 2032-33) and onwards	and of 100% of refurbishment or

(viii) For automotive Battery:

No.	Compliance cycle	Year	Mandatory Waste Battery collection target and 100% of refurbishment or recycling of the collection target (Weight)	Mandatory waste Battery collection target, and 100% refurbishment and/or recycling target for every seven year cycle (Weight)
(i)	2022-23 till 2028- 29	2022-2023	Minimum 30% of the quantity of Battery placed in the market in 2019-20.	•
(ii)		2023-2024	Minimum 50% of the quantity of Battery placed in the market in 2020-21.	cycle (end of 7th year) against the Battery placed in the marke during seven year compliance cycle.
(iii)		2024-2025	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2021-22.	
(iv)		2025-2026	Minimum 90% of the quantity of Battery placed in the market in 2022-23.	seven year cycle to the next compliance cycle.

(v)		2026-2027	Minimum 90% of the quantity of Battery placed in the market in 2023-24.	
(vi)		2027-2028	Minimum 90% of the quantity of Battery placed in the market in 2024-25.	
(vii)		2028-2029	Minimum 90% of the quantity of Battery placed in the market in 2025-26.	
(viii)	2029-30 till 2035- 36, and onwards	2029-2030 and onwards	Minimum 90% of the quantity of Battery placed in the market in 3rd preceding financial year (i.e. 2026-27) and onwards	1

(ix) For Industrial Battery:

No.	Compliance cycle	Year	Mandatory Waste Battery collection target and 100% of refurbishment or recycling of the collection target (Weight)	Mandatory Waste Battery collection target, and 100% refurbishment and/or recycling target for every seven year cycle (Weight)
(i)	2022-23 till 2028-29	2022-2023		Collection of 100% Waste Battery and of 100% of refurbishment or recycling shall be mandatory by end of seven year compliance cycle (end
(ii)		2023-2024	Minimum 50% of the quantity of Battery placed in the market in 2020-21.	of 7th year) against the Battery placed in the market during seven year compliance cycle. However, there may be a carry
(iii)		2024-2025	Minimum 60% of the quantity of Battery placed in the market in 2021-22.	forward of up to 60% of the average quantity of Battery placed in the market per year during the seven year cycle to the next compliance

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

(iv)		2025-2026	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2022-23.	cycle.
(v)		2026-2027	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2023-24.	
(vi)		2027-2028	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2024-25.	
(vii)		2028-2029	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2025-26.	
(viii)	2029-30 till 2035-36 and onwards	2029-2030 and onwards	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 3rd preceding financial year (i.e. 2026-27) and onwards	Collection of 100% Waste Battery and of 100% of refurbishment or recycling shall be mandatory by end of seven year compliance cycle (end of 7th year) against the Battery placed in the market during seven year compliance cycle. However, there may be a carry forward of up to 60% of the average quantity of Battery placed in the market per year during the seven year cycle to the next compliance cycle.

(x) For Electric Vehicles (EV) Battery of E-rickshaw (three wheelers):

No.	Compliance cycle	Year	Mandatory Waste Battery collection target and 100% of refurbishment or recycling of the collection target (Weight)	Mandatory Waste Battery collection target, and 100% refurbishment and/or recycling target for every seven year cycle (Weight)
(i)	2024-25 till 2030-31	2024-2025		Collection of 100% Waste Battery and of 100% of refurbishment or recycling shall be mandatory by end of seven year compliance cycle
(ii)		2025-2026	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2022-23.	(end of 7th year) against the Battery placed in the market during seven year compliance cycle.

(iii)		2026-2027	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2023-24.	However, there may be a carry forward of up to 60% of the average quantity of Battery placed in the market per year during the
(iv)		2027-2028	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2024-25.	seven year cycle to the next compliance cycle.
(v)		2028-2029	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2025-26.	
(vi)		2029-2030	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2026-27.	
(vii)		2030-2031	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2027-28.	
(viii)	2031-32 till 2037-38 and onwards		Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in the 3rd preceding financial year (i.e. 2028-29) and onwards	and of 100% of refurbishment or
				However, there may be a carry forward of up to 60% of the average quantity of Battery placed in the market per year during the seven year cycle to the next compliance cycle.

(xi) For Electric Vehicles (EV) Battery of two wheelers:

No.	Compliance cycle			collection target, and
(i)	2026-27 till 2032-33	2026-2027		Collection of 100% Waste Battery and of 100% of refurbishment /recycling shall be mandatory by end of seven year compliance
(ii)		2027-2028	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2023-24.	cycle (end of 7th year) against th Battery placed in the marked during seven year compliance cycle.

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

	1			
(iii)		2028-2029	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2024-25.	However, there may be a carry forward of up to 60% of the average quantity of Battery placed in the market per year during the seven year cycle to the next
(iv)		2029-2030	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2025-26.	compliance cycle.
(v)		2030-2031	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2026-27.	
(vi)		2031-2032	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2027-28.	
(vii)		2032-2033	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2028-29.	
(viii)	2033-34 till 2039-40 and onwards		Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in the 4th preceding financial year (i.e. 2029-30) and onwards	Collection of 100% Waste Battery and of 100% of refurbishment or recycling shall be mandatory by end of seven year compliance cycle (end of 7th year) against the Battery placed in the market during seven year compliance cycle. However, there may be a carry forward of up to 60% of the average quantity of Battery placed in the market per year during the seven year cycle to the next
				compliance cycle.

(xii) For Electric Vehicles (EV) Battery comprising of four wheelers:

No.	Compliance cycle	Year	Mandatory Waste Battery collection target and 100% of refurbishment or recycling of the collection target (Weight)	Mandatory Waste Battery collection target, and 100% refurbishment and/or recycling target for every fourteen year cycle (Weight)
(i)	2029-30 till 2042-43	2029-2030	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2021-22.	1

[भाग II—खण्ड 3(ii)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	45
---------------------	---------------------------	----

			=
(ii)	2030-2031	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2022-23.	during fourteen year compliance cycle.
(iii)	2031-2032	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2023-24.	However, there may be a carry forward of up to 60% of the average quantity of Battery placed in the market per year during the fourteen year cycle to the next compliance cycle.
(iv)	2032-2033	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2024-25.	
(v)	2033-2034	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2025-26.	
(vi)	2034-2035	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2026-27.	
(vii)	2035-2036	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2027-28.	
(viii)	2036-2037	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2028-29.	
(ix)	2037-2038	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2029-30.	
(x)	2038-2039	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2030-31.	
(xi)	2039-2040	Minimum 80% of the quantity of Battery placed in the market in 2031-32.	
(xii)	2040-2041	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2032-33.	
	•	•	

53

2984046/2023/Cus-IV Section

46 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

(xiii)		2041-2042	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2033-34.	
(xiv)		2042-2043	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in 2034-35.	
(viii)	2043-44 till 2056-57	2043-2044 and onwards	Minimum 70% of the quantity of Battery placed in the market in the 8th preceding financial year (i.e. 2035-36) and onwards	and of 100% of refurbishment or

Form 1(A) (see rule 4) [Application to be submitted for grant or renewal of registration as a Producer]

1.	Name of Producer	
2.	Registered address of Producer, website address and contact details	
3.	Name of the authorised person(s) and full address with e-mail, landline telephone number and mobile number	
4.	GST No.	
5.	TIN No.	

File No. 401/01/2023-Cus-III (Computer No. 300566933) 2984046/2023/Cus-IV Section

[भाग ∐—खण्	ड 3(ii)] भारत का राजप	त्र : असाधारण	47
6.	Type(s) of Battery placed in the market with brand name(s)	List as per the type:	
		a. Portable Batteryb. Automotive Batteryc. EV Batteryd. Industrial Battery	
General Ter	rms and Conditions:		
mad ii. Any	registered entity shall comply with provision the thereunder; change in the approved Extended Producer Ford Board.		
Place:			
Date:		Signature of the	authorised person
	(see ru	•	
	[Format for grant of registration to Prod	ucer by Central Pollution Control Boar	d]
Ref.: Your a	application number for registration Reg	gistration No.:	dt.
Waste Man violation of	agement Rules, 2022. The registration as Produced agement Rules, 2022. The registration shall the provision(s) of the Battery Waste Manant (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).	be valid for a period of years from d	late of issue. Any
		(Me	ember Secretary)
		Central Pollutio	on Control Board
Date:			
Place:	_		
	Form (see r		
	[Format for submission of Extended Prod		er]
1.	Name of Producer		
2.	Registered address of Producer, website address and contact details		

2984046/2023/Cus-IV Section

48	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINAR'	Y [PART II—SEC. 3(ii)]
----	--------------------------------------	------------------------

3.	Name of the authorised person(s) and full address with e-mail, landline telephone number and mobile number	
4.	GST No.	
5.	TIN No.	
6.	Type(s) of Battery placed in the market with brand name(s) along with the quantities in total weight as well as dry weight of Battery	

Date: Place:

Signature of the authorised person:

Form 2(A) (see rule 8 and 9)

[Application to be submitted by recycler or refurbisher for grant of one time registration]

1.	Name of the recycler		
2.	Registered address and website address		
3.	Phone No.(landline and mobile)		
4.	Email ID		
5.	Authorised person(s) Name		
6.	Authorised person(s) Email ID		
7.	Authorised person Mobile No.		
8.	GST No.		
9.	Consent Validity	a. b.	Under Air Act, 1981; Valid up to – Under Water Act, 1974; Valid up to –
10.	Validity of Authorisation under rule 6 of the Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 2016	Valid up	p to -
11.	Validity of certification of registration with District Industries Centre	Valid up	p to –

2984046/2023/Cus-IV Section

[भाग II—खण्ड 3(ii)]

12.	Capacity of recycling unit(s) in (MTA)	a.	Installed
		b.	Operating(details of last three years)

भारत का राजपत्र : असाधारण

Signature of the authorised person

49

Place:

Date:

Form 2(B) (see rule 12)

[Format for grant of registration to recycler or refurbisher by State Pollution Control Boards]

Ref.: Your application number for registration dt.

Registration	No.:
1 CZISH GHOH	110

M/s----- is hereby granted registration for recycling and/or refurbishment of Waste Battery in line with provisions under Battery Waste Management Rules, 2022.

The registration shall be valid for a period of years from date of issue.

Any violation of the provision(s) of the Battery Waste Management Rules, 2022 will attract the penal provision of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

(Member Secretary)

State Pollution Control Board

(Signature and designation)

Date: Place:

Form 3 (see rule 4)

[Annual returns to be submitted by Producer by 30th day of June of the following financial year]

1.	Name of Producer					
	Registered address of Producer, website address and contact details					
	Name of the authorised person(s) and full address with e-mail, landline telephone number and mobile number					
4.	Details of numbers of Battery	Sl.No.	Type of	Quantity of Battery sold		
	sold during the financial year of		Battery	No.	Total weight	Dry weight of Battery material
	which the return is being filed	1.				
		2.				
		3.				
		4.				
	Type(s) of Battery placed in the market with brand name(s) along with the quantities in total Quantities in total weight as well as dry weight of Battery type-wise:				of Battery type-wise:	
	weight as well as dry weight of	a. Portable Battery				
	Battery	b.	Automotive 1	Battery		

57

2984046/2023/Cus-IV Section

5(THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(ii)
----	-------------------------------------	---------------------

	c. EV Battery
	d. Industrial Battery
	•
	1.Extended Producer Responsibility obligation(s),
Responsibility obligation(s) and	2.Weight of Battery material refurbished or recycled
the Battery collected and refurbished or recycled for which	3. Weight of Battery material recovered
	4. Details of disposal
	No. of certificates recycler or refurbisher-wise
Responsibility certificates	140. of certificates recycler of fertilosiner-wise

Signature of the authorised person:

Place: Date:

Form 4

(see rule 8 and 9)

[Quarterly return to be submitted by recycler or refurbisher to State Pollution Control Boards by end of the month succeeding the end of the quarter]

1.	Name of the recycler						
2.	Registered address						
3	Email Id						
4	Phone No.						
5	Name of authorized person (s)						
6.	GST Number						
7.	Registration No. With State Pollution Control Board						
8	Capacity of recycling unit(s) in (MTA)	a. b.	Installed Operating(details	s of last three years)			
9	Details of Waste Battery collected from different entities including producer(s)	S.No.	Type of Battery	are co	ollected fo	or recyclin	whom the Battery g or refurbishment umber and weight
		1	Portable				
		2	Automotive				
		3	Electric Vehicle				
		4	Industrial				
10.	Details of Waste Battery recycled or refurbished	S. No.	Type of Battery	Quantity of Battery recycled or refurbished			
				No.	Total weight	Total dry weight	Total weight of Battery material s recovered
		1.	Portable				

2984046/2023/Cus-IV Section

[भाग	∐—खण्ड 3(ii)] भ	ारत का ग	राजपत्र : असाधारण			51
		2.	Automotive			
		3.	Electric Vehicle			
		4.	Industrial			
11.	Details of waste generated and disposed during recycling or refurbishing operations					
12	Extended Producer Responsibility certificate details	No. of o	certificates issued p	oroduce	er-wise	

	Signature	of the	authorised	person
--	-----------	--------	------------	--------

Place:

Date: